

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960

{उ० प्र० अधिनियम संख्या 16, 1960}

THE UTTAR PRADESH MUSLIM WAQFS ACT, 1960

[U. P. ACT NO. XVI OF 1960]

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960¹

{उ० प्र० अधिनियम संख्या 16, 1960}

उ० प्र० अधिनियम संख्या 25, 1963

उ० प्र० अधिनियम संख्या 26, 1966

उ० प्र० अधिनियम संख्या 3, 1970

उ० प्र० अधिनियम संख्या 18, 1972

उ० प्र० अधिनियम संख्या 11, 1974

द्वारा संशोधित

{उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 6 अप्रैल, 1960 तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 28 अप्रैल, 1960 की बैठक में स्वीकृत किया।

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 27 अगस्त, 1960 ई० को स्वीकृति प्रदान की और उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 3 सितम्बर, 1960 ई० को प्रकाशित हुआ।}

उत्तर प्रदेश में कतिपय वर्गों के वक्फों के अच्छे शासन, प्रशासन और पर्यवेक्षण की व्यवस्था के लिये

अधिनियम

यह इष्टकर है कि उत्तर प्रदेश में कतिपय वर्गों के वक्फों के अच्छे शासन, प्रशासन और पर्यवेक्षण की व्यवस्था की जाये।

अतएव भारतीय गणतंत्र के ग्यारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

प्रारम्भिक

1— (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960 कहलायेगा।
और

संक्षिप्त नाम, विस्तार
प्रारम्भ

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में लागू होगा।

(3) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

2— (1) इस अधिनियम में विशेष रूप से उल्लिखित किसी अन्य व्यवस्था के अधीन प्रवृत्ति

अधिनियम की

रहते हुये, यह अधिनियम उन सभी वक्फों पर प्रवृत्त होगा, जिनमें समाविष्ट सम्पत्ति का कोई भाग उत्तर प्रदेश में स्थित हो, चाहे वे इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पहले बने हों या पीछे; और उन सभी वक्फों पर भी प्रवृत्त होगा, जो इस अधिनियम के प्रचलित होने के समय यू०पी० मुस्लिम वक्फ्स ऐक्ट, 1936 के अधीन संघटित सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड या शिया सेन्ट्रल बोर्ड के अधीक्षण में थे।

2[(2) यह अधिनियम ऐसे निबन्धों पर, जो अब तक हुसेनाबाद इन्डाउमेंट ऐक्ट, 1878
13,

यू०पी० ऐक्ट, संख्या

द्वारा शासित होते थे, ऐसे न्यासों (ट्रस्ट्स) पर, जिन्हें शाह नजफ ट्रस्ट की किंग्स साइड और क्वीन्स साइड कहा जाता है, ऐसे वक्फों पर जिन्हें वक्फ अबू साहब, रोजा काजमैन वक्फ वजीर बेगम, लखनऊ कहा जाता है और किसी ऐसे अन्य निबंध, न्यास या वक्फ पर, जो अब तक उक्त हुसेनाबाद इन्डाउमेंट ऐक्ट के अधीन नियुक्त ट्रस्टियों द्वारा प्रशासित होते थे, भी लागू होगा और ये सभी निबंध, न्यास (ट्रस्ट) या वक्फ इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये वक्फ समझे जायेंगे।

1936

1. उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिये 24 फरवरी, 1960 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये ।
2. उ०प्र० अधिनियम सं० 25, 1963 ई० की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित, जो 3 सितम्बर 1960 से प्रचलित समझी जाये।

{उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960}

{धारा 3}

प्रतिबंध यह है कि राज्य सरकार को उपर्युक्त निबंध, न्यास और वक्फ पर इसकी प्रवृत्ति के संबंध में सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, कोई अनुकूलन, चाहे वे परिष्कार के रूप में हो या परिवर्द्धन अथवा लोप के रूप में, करने का अधिकार होगा जो वह उचित समझे, और जिनका इस अधिनियम के उपबंधों के मूलतत्त्व पर कोई प्रभाव न पड़ता हो।¹

(3) { * * * }²

3— विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में —

परिभाषायें

(1) “हितग्राही” का तात्पर्य उस व्यक्ति या उद्देश्य से है, जिसके हित वक्फ बनाया जाये और इसके अन्तर्गत धार्मिक, धर्मशील या पूर्ण उद्देश्य तथा मुस्लिम सम्प्रदाय या उसके किसी फिरके के हित के लिये स्थापित लोकोपयोगिता का कोई अन्य उद्देश्य भी है ;

(2) “बोर्ड” का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन संघटित सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड या शिया सेन्ट्रल से है ;

(3) “आयुक्त” का तात्पर्य धारा 4 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त वक्फ आयुक्त से है ;

(4) “परिवार” के अन्तर्गत निम्नलिखित है—

(1) माता—पिता, दादी—बाबा तथा नानी—नाना ;

(2) पत्नी या पति ; और

(3) किसी पुरुष या स्त्री पूर्वज द्वारा सम्बद्ध व्यक्ति ;

{(5) “मुतवल्ली” का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है, जो या तो अलिखित रूप से अथवा किसी ऐसे विलेख या करण के अन्तर्गत, जिससे कोई वक्फ सृजित किया हो या किसी सक्षम अधिकारी द्वारा किसी वक्फ का मुतवल्ली नियुक्त किया गया हो और इसके अन्तर्गत कोई नायाब मतवल्ली, खादिम, मुजाविर, सज्जादानशीन, अमीन या मुतवल्ली के कर्तव्यों का पालन करने के लिये किसी मुतवल्ली द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति भी है और इस अधिनियम में अन्यथा की गई व्यवस्था के सिवाय, कोई ऐसा व्यक्ति या समिति भी है, जो तत्समय इस रूप में किसी वक्फ सम्पत्ति का प्रबंध या प्रशासन कर रही हो ;}³

(6) “शुद्ध आय” का तात्पर्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी को देय राजस्व, उपकर, स्थानीय कर, कर या अधिकार (Surcharge) घटाने के बाद शेष कुल आय से है ;

(7) “सम्पत्ति” के अन्तर्गत सरकारी प्रतिभूतियां तथा बंधपत्र, फर्मों और कम्पनियों के अंश, स्कन्ध (स्टाक), ऋणपत्र (Debentures) तथा अन्य प्रतिभूतियां और करण तथा नकदी और अन्य पदार्थ भी है ;

(8) “नियत” का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाई गई उपविधियों या नियमों द्वारा नियत से है ;

(9) “उपसमिति” का तात्पर्य धारा 27 के अधीन किसी स्थानीय क्षेत्र के लिये नियुक्त उप—समिति से है ;

(10) “अधिकरण” का तात्पर्य धारा 70 के अधीन संघटित अधिकरण से है ;

1. उ०प्र० अधिनियम सं० 25, 1963 ई० की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित, जो 3 सितम्बर 1960 से प्रचलित समझी जाये।
2. उ०प्र० अधिनियम सं० 28, 1971 ई० की धारा 2 द्वारा निकाली गई।
3. उपर्युक्त की धारा 3 (क) द्वारा रखा गया ।

{उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960}

{धारा 4—6}

(11) “वक्फ” का तात्पर्य किसी सम्पत्ति का किसी ऐसे प्रयोजन के लिये स्थायी समर्पण या अनुदान से है, जो मुस्लिम विधि या प्रथा के अनुसार धार्मिक, धर्मशील या पूर्ण के रूप में स्वीकृत हो और इसके अन्तर्गत वक्फ अलल—औलाद [उस सीमा तक जहां तक सम्पत्ति उपर्युक्त किसी ऐसे प्रयोजनों के लिये समर्पित या अनुदत्त हो]¹ तथा उपयोगवश वक्फ भी है; और “वाकिफ” का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो ऐसा समर्पण या अनुदान करे;

(12) "वक्फ सम्पत्ति" के अन्तर्गत धर्मस्थान, मकबरे या इमामबाड़े पर चढ़ाई गई वस्तुयें भी हैं; और

(13) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है।

अध्याय 1

वक्फों का सर्वेक्षण

- 4— राज्य में या उसके निर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थित समस्त वक्फ सम्पत्तियों का सर्वेक्षण वक्फ आयुक्त तथा अपर
- करने के लिये चाहे वे वक्फ इस अधिनियम के अधीन हो या न हो राज्य सरकार, समय-समय आयुक्तों या सहायक वक्फ
- पर, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, एक वक्फ आयुक्त तथा उतने अपर वक्फ आयुक्त या की नियुक्ति
- सहायक वक्फ आयुक्त, जितने आवश्यक हो, नियुक्त कर सकती है।
- 5— अपर वक्फ आयुक्त या सहायक वक्फ आयुक्त, ऐसे सभी अधिकारों का प्रयोग तथा ऐसे सभी कर्तव्यों का पालन करेगा, जो इस अधिनियम के अधीन आयुक्त को प्रदान किये गये हैं या जिनके लिये उसे आदेश दिया गया हो।
- 6— (1) आयुक्त वक्फों के सर्वेक्षण कार्य को अपने तथा अपर और सहायक आयुक्तों वक्फों के सर्वेक्षण के बीच ऐसी रीति से विभाजित करेगा, जो वह उचित समझे तथा सामान्यता तथा उसके कार्य का पर्यवेक्षण करेगा और उस पर नियंत्रण रखेगा।

(2) वक्फ आयुक्त ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, निम्नलिखित बातें सुनिश्चित तथा अवधारित करेगा :—

- (क) शिया वक्फों तथा सुन्नी वक्फों को अलग अलग दिखाते हुये, क्षेत्र के समस्त वक्फों की संख्या ;
- (ख) प्रत्येक वक्फ का प्रकार तथा उद्देश्य ;
- (ग) प्रत्येक वक्फ में समाविष्ट सम्पत्ति की सकल आय ;
- (घ) प्रत्येक वक्फ-सम्पत्ति के संबंध में सरकार या स्थानीय प्राधिकारी को देय राजस्व, उपकर, स्थानीय कर, कर और अधिभार की धनराशि ;
- (ङ) आय की वसूली में होने वाले व्यय तथा प्रत्येक वक्फ के मुतवल्ली का वेतन या अन्य पारिश्रमिक ;
- (च) { * * * }₂
- (छ) प्रत्येक वक्फ के संबंध में ऐसे अन्य विवरण, जो नियत किये जाये :

प्रतिबंध यह है कि यदि इस विषय में विवाद हो कि कोई वक्फ विशेष शिया वक्फ है या सुन्नी वक्फ है और वक्फ-विलेख के कथनों से यह स्पष्ट रूप से लक्षित हो कि वह किस संप्रदाय का है तो उस विवाद का निर्णय उक्त कथनों के आधार पर किया जायेगा।

1. उ०प्र० अधिनियम सं० 28, 1971 ई० की धारा 3 (ख) द्वारा रखा गया।

2. उपर्युक्त की धारा 4 द्वारा निकाला गया।

{उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960}

{धारा 7-9}

(3) आयुक्त को जांच करते समय वही अधिकार प्राप्त होंगे, जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर, 1908 के अधीन निम्नलिखित विषयों के संबंध में व्यवहार न्यायालय (सिविल कोर्ट) में निहित होते हैं :—

ऐक्ट सं० 5, 1908

- (क) किसी साक्षी को बुलाना तथा उसका बयान लेना ;
- (ख) किसी लेख्य को प्रकट करने तथा उसे प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना ;
- (ग) किसी न्यायालय या कार्यालय के किसी सार्वजनिक अभिलेख की मांग करना ;
- (घ) लेखों तथा साक्षियों के परीक्षण के लिये कमीशन जारी करना ;
- (ङ) कोई स्थानीय निरीक्षण या स्थानीय अनुसंधान करना ; तथा

(च) कोई अन्य विषय, जो राज्य सरकार द्वारा नियत किया जाय ।

(4) आयुक्त, अपर आयुक्त या सहायक वक्फ आयुक्त जांच के प्रतिवेदन को, जिसमें उपधारा (2) में उल्लिखित विवरण होंगे। प्रत्येक वक्फ बोर्ड तथा राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा और राज्य सरकार यथाशक्य शीघ्र सरकारी गजट में विशेष फ़िरके से सम्बद्ध ऐसे वक्फों को विज्ञापित करेगी, जिन पर उक्त प्रतिवेदन के अनुसार इस अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होते हों ।

7— (1) इस अध्याय के अधीन सर्वेक्षण करने का सम्पूर्ण करने का सम्पूर्ण व्यय, यदि वसूली

सर्वेक्षण व्यय की

सर्वेक्षण पूरे राज्य में हो तो, राज्य में स्थित वक्फ—सम्पत्ति की आय के अनुपात में सभी मुतवल्लियों द्वारा वहन किया जायेगा और यदि सर्वेक्षण किसी क्षेत्र विशेष तक ही सीमित हो तो उस क्षेत्र में स्थित वक्फ सम्पत्ति की आय के अनुपात में स्थित वक्फों में मुतवल्लियों द्वारा वहन किया जायेगा ।

(2) वक्फ स्थापित करने वाले के किसी विलेख या करण में किसी बात के होते हुये भी, कोई मुतवल्ली उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा देय किसी धनराशि को वक्फ सम्पत्ति की आय में से दे सकता है ।

(3) उपधारा (1) के अधीन मुतवल्ली द्वारा देय कोई धनराशि, राज्य सरकार द्वारा प्रमाण पत्र—जारी किये जाने पर, धारा 83 में व्यवस्थित रीति से वसूल की जा सकती है ।

8— (1) यदि यह विवाद उठे कि कोई सम्पत्ति—विशेष वक्फ सम्पत्ति से है या नहीं अथवा वक्फ शिया वक्फ है या सुन्नी वक्फ तो सम्बद्ध बोर्ड या वक्फ का मुतवल्ली अथवा उसमें स्वत्व रखने वाला कोई व्यक्ति उक्त विवाद को निर्णय के लिये अधिकरण को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अभिदिष्ट कर सकता है :

प्रतिबंध यह है कि धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन वक्फों की सूची प्रकाशित होने के दिनांक से एक वर्ष समाप्त हो जाने के पश्चात् अधिकरण द्वारा कोई ऐसा विवाद ग्रहण नहीं किया जायेगा ।

(2) आयुक्त, अपर वक्फ आयुक्त या सहायक वक्फ आयुक्त को उपधारा (1) के अधीन किसी कार्यवाही में पक्ष के रूप में नहीं रखा जायेगा ।

9— (1) इस अध्याय के उपबंध द्वारा इस अधिनियम के आरम्भ होने के पूर्व शुरू 1936

यू0पी0एक्ट सं0 13,

किये गये वक्फ—सम्पत्तियों के किसी सर्वेक्षण की कार्यवाही पर प्रवृत्त न होंगे और ऐसा सर्वेक्षण यू0 पी0 मुस्लिम वक्फ ऐक्ट, 1936 के उपबंधों के अनुसार पूरा किया जायेगा ।

[उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960]

[धारा 10—11]

(2) इस अध्याय के किसी बात का उन विषयों में मुख्य राज्य वक्फ आयुक्त (Chief State Commissioner of Waqfs) या किसी राज्य वक्फ आयुक्त अथवा वक्फ आयुक्त के निर्णयों की अन्तिमता पर प्रभाव न पड़ेगा, जिनमें इस अधिनियम के प्रभावी होने के पूर्व ऐसे आयुक्त का प्रतिवेदन अंतिम हो गया हो ।

अध्याय 2

बोर्ड की स्थापना और उनके कृत्य

10— (1) उत्तर प्रदेश में दो पृथक बोर्ड स्थापित किये जायेंगे, जो वक्फों के “सुन्नी स्थापना

सेन्ट्रल बोर्डों की

सेन्ट्रल बोर्ड” तथा “शिया सेन्ट्रल बोर्ड” कहलायेंगे। प्रत्येक बोर्ड एक निगमित निकाय होगा और उसे शाश्वत उत्तराधिकार प्राप्त होगा तथा उसकी एक सामान्य मुहर होगी और उक्त नाम से वह वाद प्रस्तुत करेगा तथा उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जायेगा :

प्रतिबंध यह है कि ऐसे बोर्ड, जो यू0पी0 मुस्लिम वक्फ ऐक्ट, 1936 के अधीन संघटित 1936 किये गये थे और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय कार्य कर रहे थे, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन संघटित किये गये समझे जायेंगे तथा यू0पी0 मुस्लिम वक्फ ऐक्ट, 1936 के अधीन अपने कार्यकाल की समाप्ति तक कार्य करते रहेंगे ।

यू0पी0एक्ट सं0 13,

यू0पी0एक्ट सं0 13,

1946

(2) कोई बात, जिसका इस अधिनियम के अधीन, बोर्ड द्वारा किया जाना अपेक्षित या अनुज्ञात हो, सुन्नी वक्फों के विषय में सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड द्वारा और शिया वक्फों के विषय में शिया सेन्ट्रल बोर्ड द्वारा की जायेगी :

प्रतिबंध यह है कि शिया सेन्ट्रल बोर्ड का धारा 2 की उपधारा (2) में अभिदिष्ट वक्फ, निबंध और न्यास पर नियंत्रण तथा अधीक्षण¹ ऐसे निदेशों के अधीन रहेगा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जायें ।

11— [(1)² सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड में निम्नलिखित सुन्नी मुसलमान होंगे, जो { * * * }⁵ का निर्वाचित किये जायेंगे या आगे दी गई रीति से आमेलित या नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे]³

सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड
संघटन

{(1) छः सदस्य, जिसमें से कम से कम एक राज्य विधान परिषद् का सदस्य होगा, जिनका निर्वाचन राज्य विधान मंडल के सुन्नी सदस्य अपने में से करेंगे;}⁴

{(2) उत्तर प्रदेश स्टेट बार काउन्सिल के नाम निवेशित दो सुन्नी एडवोकेट, जिनका निर्वाचन हाई कोर्ट बार एशोसियेशन, इलाहाबाद तथा अवध बार एशोसियेशन, लखनऊ के सुन्नी सदस्य करेंगे;}⁶

{(3) उन व्यक्तियों, जो राज्य सरकार की राय में इस्लामिक धर्म विद्या के मान्यता प्राप्त विद्वान हों, में से राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जाने वाला एक सदस्य;}⁷

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 25, 1963 ई0 की धारा 4 द्वारा रखे गये जो 3 सितम्बर, 1960 से प्रभावी समझे जाये ।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 3, 1970 ई0 की धारा (2) (1) द्वारा धारा 11 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनर्संख्याकित किया गया ।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 3, 1970 ई0 की धारा 2 (1) (1) द्वारा रखे गये ।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 18, 1972 ई0 की धारा 2 (क) द्वारा रखे गये ।
5. उ0प्र0 अधिनियम सं0 11, 1974 ई0 की धारा 2 (क) द्वारा निकाले गये ।
6. उ0प्र0 अधिनियम सं0 11, 1974 ई0 की धारा 2 (ख) द्वारा रखे गये ।
7. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 23 वर्ष 1995 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

{उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960}

{धारा 12-13}

{(4) दो सदस्यों, जिनमें से एक वित्त के संबंध में तथा दूसरा प्रशासन के संबंध में ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखता हो, राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे ;}¹

(5) एक सदस्य, जो उपयुक्त [ग्यारह]² सदस्यों द्वारा ऐसे वक्फों के, जिन पर यह अधिनियम लागू होता हो और जिनमें से प्रत्येक की कम से कम [तीन हजार रुपये]³ की वार्षिक आय हो, मुतवल्लियों में से आमेलित किया जायेगा ।

(6) अध्यक्ष, यदि वह उपर्युक्त [बारह]⁴ सदस्यों में से न हो ।

{(2) उपधारा (1) के अधीन निर्वाचन तथा आमेलन ऐसे समय के भीतर तथा ऐसी रीति से किये जायेंगे, जैसा कि राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा निदेश दे, तथा किसी ऐसे निर्वाचन अथवा आमेलन से संबंधित कोई प्रश्न अथवा विवाद राज्य सरकार को अभिदिष्ट किया जायेगा, जिसका निर्णय अन्तिम होगा।}⁵

{12— [(1)]⁶ शिया सेन्ट्रल बोर्ड में निम्नलिखित शिया मुसलमान होंगे, जो { * * * }⁷ का

शिया सेन्ट्रल बोर्ड

निर्वाचित किये जायेंगे या आगे दी गई रीति से आमेलित किये जायेंगे [या नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे या पदेन होंगे :-]⁸

संघटन

{(1) राज्य विधान मंडल के समस्त शिया सदस्य ;}⁹

{(2) एक सदस्य राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा ;}¹⁰

(3) एक सदस्य जिसका निर्वाचन शिया कालेज, लखनऊ के बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा अपने सदस्यों में से किया जायेगा;

{(4) तीन सदस्य, जिनमें से एक किसी वक्फ का, जिस पर यह अधिनियम लागू होता हो, और जिसकी कम से कम [तीन हजार रुपये]¹² की वार्षिक आय हो, मुतवल्लि होगा, दूसरा सदस्य ऐसा होगा, जिसे वित्त तथा प्रशासन के संबंध में ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो और तीसरा सदस्य आलिम होगा, [पूर्ववर्ती खण्डों में अभिदिष्ट सदस्यों]¹³ द्वारा आमेलित किये जायेंगे;}¹¹

(5) अध्यक्ष, यदि वह {पूर्ववर्ती खण्डों में अभिदिष्ट सदस्यों}¹⁴ में से न हों;

{(2) उपधारा (1) के अधीन निर्वाचन तथा आमेलन ऐसे समय के भीतर या ऐसी रीति से किये जायेंगे, जैसा कि राज्य सरकार सामान्य कोई प्रश्न अथवा विवाद राज्य सरकार को अभिदिष्ट किया जायेगा जिसका निर्णय अन्तिम होगा।}¹⁵

1. उ०प्र० अधिनियम सं० 3, 1970 ई० की धारा 2 (1) (2) द्वारा खण्ड (4) व (5) रखे गये ।
2. उ०प्र० अधिनियम सं० 18, 1972 ई० की धारा 2 (क) द्वारा रखे गये ।
3. उ०प्र० अधिनियम सं० 28, 1971 ई० की धारा 5 द्वारा प्रस्थापित ।
4. उ०प्र० अधिनियम सं० 18, 1972 ई० की धारा 2 (घ) द्वारा रखे गये ।
5. उ०प्र० अधिनियम सं० 11, 1972 ई० की धारा 2 (ग) द्वारा रखे गये ।
6. उ०प्र० अधिनियम सं० 3, 1970 ई० की धारा 3 (1) द्वारा धारा 12 उपधारा (1) के रूप पुनर्संख्याकित । 7. उ०प्र० अधिनियम सं० 11, 1974 ई० की धारा 3 (क) द्वारा निकाले गये ।
8. उ०प्र० अधिनियम सं० 18, 1972 ई० की धारा 3 (1) (क) द्वारा रखे गये ।
9. उपर्युक्त की धारा 3 (1) (ख) रखे गये ।
10. उ०प्र० अधिनियम सं० 3, 1970 ई० की धारा 3 (1) (1) द्वारा रखे गये ।
11. उपर्युक्त की धारा 3 (1) (2) द्वारा रखा गया ।
12. उ०प्र० अधिनियम सं० 28, 1971 ई० की धारा 6 द्वारा रखा गया ।
13. उ०प्र० अधिनियम सं० 18, 1972 ई० की धारा 3 (1) (ग) द्वारा रखा गया ।
14. उ०प्र० अधिनियम सं० 11, 1974 ई० की धारा 3 (ख) द्वारा रखा गया ।
15. उपर्युक्त की धारा 3 (ग) द्वारा प्रतिस्थापित ।

{उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960}

{धारा 13—14}

1{13— [यदि धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (3) में अभिदिष्ट कोई भी निकाय]⁸ जो विद्यमान न हो अथवा [ऐसे समय के भीतर जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट किया जाये]² [सदस्यों को अपेक्षित संख्या में चुनकर भेजने में असमर्थ हो]³ तो कमी की पूर्ति राज्य सरकार द्वारा, [शिया मुस्लिम]⁹ के नाम निर्देश न करके की जायेगी।]¹

कतिपय दशाओं में
नाम निर्देश न

{13—क— सदस्यों के निर्वाचन, नाम—निर्देशन और आमेलन और अध्यक्ष के निर्वाचन के पूरा हो जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना प्रकाशित करेगी कि बोर्ड यथावत् संगठित हो गया है।

बोर्ड के संगठन की
अधिसूचना

13—ख— जहां किसी न्यायालय के किसी आदेश के परिणामस्वरूप अथवा किसी परिस्थितियों

कतिपय

अन्य कारण से राज्य सरकार बोर्ड के यथावत् संगठन की अधिसूचना जारी करने में असमर्थ हो और अध्यक्ष के निर्वाचन के दिनांक से पांच वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाय तो बोर्ड का संगठन अधिसूचित नहीं किया जायेगा और नये बोर्ड का संगठन करने के लिये सदस्यों का निर्वाचन, नाम—निर्देशन और आमेलन नये सिरे से किया जायेगा।]¹⁰

में नये निर्वाचन

{14}⁴— धारा 23 के उपबंधों के अधीन रहते हुये, बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल काल [उसके संगठन की विज्ञप्ति के दिनांक से]⁵ पांच वर्ष का होगा :

बोर्ड के कार्य

प्रतिबंध यह है कि राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, उक्त अवधि को एक वर्ष से अधिक की अतिरिक्त की अवधि के लिये बढ़ा सकती है :

{प्रतिबंध यह है कि सिवाय उपधारा (2) में उपबंधित दशा में, बोर्ड के बहिर्गामी सदस्य (जिसमें बोर्ड का अध्यक्ष भी सम्मिलित है) इस बात के होते हुये भी उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, तब तक क्रमशः सदस्य और अध्यक्ष के रूप में अपना पद धारण किये रहेंगे जब तक कि राज्य सरकार द्वारा नये बोर्ड का यथोचित रूप से संगठित किया जाना सरकारी गजट में विज्ञप्ति न कर दिया जाये।]⁶

{(2) यदि किसी न्यायालय के किसी अन्तरिम आदेश के परिणाम स्वरूप या किसी अन्य कारण से राज्य सरकार नये बोर्ड की यथोचित रूप से संघटित किये जाने की विज्ञप्ति जारी करने में असमर्थ हो या ऐसी विज्ञप्ति के जारी होने के पश्चात् नया बोर्ड कार्य करने में असमर्थ हो तो राज्य सरकार, न्यायालय के किसी अन्तरिम आदेश की दशा में, ऐसे आदेश के क्रियाकाल के दौरान और किसी अन्य दशा में [दो वर्ष या बोर्ड के संगठन तक, जो भी पहले हो,]¹¹ से अनधिक अवधि के लिये, बोर्ड के नियंत्रक के रूप में, यथास्थिति, कोई सुन्नी मुस्लिम अधिकारी या शिया मुस्लिम अधिकारी, जो राज्य सरकार के संयुक्त सचिव से निम्न स्तर का न हो, नियुक्त कर सकती है और ऐसा नियंत्रक, बोर्ड और उसके अध्यक्ष और सदस्यों के सभी कृत्यों का निर्वहन, अधिकारों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी नियंत्रक की नियुक्ति पर, उपधारा (2) के जैसी कि वह उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के पूर्व थी, अधीन नियंत्रक के रूप में नियुक्त व्यक्ति ऐसा नियंत्रक नहीं रह जायेगा।⁷

1. उ०प्र० अधिनियम सं० 3, 1970 ई० की धारा 3 (1) (ii) द्वारा रखा गया ।
2. उ०प्र० अधिनियम सं० 11, 1974 ई० की धारा 4 द्वारा रखा गया ।
3. उ०प्र० अधिनियम सं० 28, 1971 ई० की धारा 7 द्वारा रखा गया ।
4. उ०प्र० अधिनियम सं० 3, 1970 ई० की धारा 5 द्वारा धारा 14, 14 (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित की गयी ।
5. उपर्युक्त की धारा 5 (क) (1) द्वारा रखा गया ।
6. उपर्युक्त की धारा 5 (क) (2) द्वारा बढ़ाया गया और 5 दिसम्बर, 1969 से बढ़ाया गया समझा जायें । 7. उ० प्र० अधिनियम संख्या 21 वर्ष 1994 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
8. उ० प्र० अधिनियम संख्या 23 वर्ष 1995 की धारा 3 (क) द्वारा प्रतिस्थापित ।
9. उपर्युक्त की धारा 3(ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।
10. उपर्युक्त की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया ।
11. उपर्युक्त की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।

{उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960}

{धारा 15-19}

15— (1) {अध्यक्ष से भिन्न समस्त सदस्यों के निर्वाचन आमेलन या नाम निर्देशन आदि जैसी भी दशा हो}¹ के तुरन्त पश्चात् और बाद में जब कभी विद्यमान या प्रत्याशित रिक्ति के कारण या अन्यथा, अध्यक्ष नियुक्त करना आवश्यक हो जाये, तो बोर्ड का सचिव, अध्यक्ष निर्वाचित करने के लिये {ऐसे सदस्यों की एक बैठक}² बुलायेगा। सदस्य या तो अपने में से किसी को अथवा किसी अन्य व्यक्ति को अध्यक्ष निर्वाचित कर सकते हैं :

अध्यक्ष का निर्वाचन,

प्रतिबंध यह है कि किसी ऐसे वक्फ का मुतवल्ली जिस पर यह अधिनियम प्रवृत्त होता है अथवा सरकारी कोषाध्यक्ष (गवर्नमेंट ट्रेजरर) अथवा सरकार का या किसी वक्फ प्रशासन या कोई पूर्णकालिक सेवक अध्यक्ष निर्वाचित नहीं किया जायेगा ।

(2) अध्यक्ष अवैतनिक होगा { * * * }³ ।

16— (1) बोर्ड का कार्यालय लखनऊ में होगा और बोर्ड की बैठक कार्य के संपादन के लिये ऐसे समय और स्थान पर होगी, जो नियत किये जायें ।

कार्य का संचालन

(2) बोर्ड की बैठक की गणपूर्ति बोर्ड के कुल सदस्यों की संख्या के आधे से होगी :

प्रतिबंध यह है कि यदि बैठक गणपूर्ति न होने के कारण स्थगित की जाये तो ऐसे स्थगन के पश्चात् प्रथम बैठक के लिये अपेक्षित गणपूर्ति बोर्ड के कुल सदस्यों की संख्या के एक-तिहाई से होगी और यदि बैठक गणपूर्ति न होने के कारण पुनः स्थगित की जाये तो द्वितीय या अनुवर्ती स्थगनोपरान्त बैठक के लिये गणपूर्ति की आवश्यकता होगी ।

(3) बोर्ड निर्णय अपने उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से करेगा। मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा ।

17— बोर्ड अपने पूर्णकालिक सचिव के पद पर एक व्यक्ति को नियुक्त करेगी, आदि

सचिव की नियुक्ति

जिसकी अर्हतायें, वेतन भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें वह होगी, जो नियत की जायें :

प्रतिबंध यह है कि सचिव, सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड की दशा में सुन्नी सम्प्रदाय का और शिया सेन्ट्रल बोर्ड की दशा में शिया सम्प्रदाय का मुसलमान होगा ।

18— बोर्ड ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों को, जो इस अधिनियम के उपबंधों को कर्मचारिवर्ग

सेन्ट्रल बोर्ड के

कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिये आवश्यक हों, ऐसे वेतन भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तों पर नियुक्त कर सकता है जो नियत की जायें ।

19— (1) ऐसे जिन वक्फों पर यह अधिनियम प्रवृत्त होता है, उन सबका सामान्य अधीक्षण बोर्ड में निहित होगा। बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिये कि उसके अधीक्षण के अधीन वक्फों { * * * }⁴ का अनुरक्षण, नियंत्रण तथा प्रबंध उचित रूप से होता है और उसकी आय उन प्रयोजनों के लिये, जिनके निमित्त वे स्थापित किये गये थे या जिनके निमित्त वे विद्यमान हैं, विधिवत लगाई जाती है, सभी उचित व आवश्यक कार्य करेगा ।

बोर्ड के कृत्य

(2) उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे :—

1. उ०प्र० अधिनियम सं० 26, 1966 ई० की धारा 3 द्वारा रखा गया ।
2. उ०प्र० अधिनियम सं० 11, 1974 ई० की धारा 5 द्वारा रखा गया ।

3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 3, 1970 ई0 की धारा 6 द्वारा निकाला गया।
 4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 25, 1963 ई0 की धारा 5 (1) द्वारा निकाला गया और 3 सितम्बर, 1960 से प्रचलित समझे जायें।

{उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960}

{धारा 20-21}

(क) पूर्ण तथा प्रमाणिक अभिलेख रखना, जिसमें प्रत्येक जिले के प्रत्येक वक्फ की उत्पत्ति, आय, उद्देश्यों और हितग्राहियों के विषय में सूचना हो;

(ख) अपना बजट तैयार करना और निश्चित करना ;

(ग) मुतवल्लियों द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत किये गये बजटों को निश्चित तथा पारित करना :

प्रतिबंध यह है कि वक्फ संपत्ति के स्वत्व रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे पट्टे, बंधक, हस्तांतरण या परिवर्तन के विरुद्ध, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से, जो नियत की जाये, की गई किसी आपत्ति पर विचार किया जायेगा और उसका निर्णय उक्त पट्टे, बंधक, हस्तांतरण या परिवर्तन पूरा किये जाने के पूर्व किया जायेगा;

(ण) मुतवल्ली को हटाना या मुतवल्ली को नियुक्त करना और इस प्रकार नियुक्त मुतवल्ली को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन वक्फ संपत्ति का कब्जा दिलाना :

प्रतिबंध यह है कि करने या मुतवल्ली को नियुक्त करने या वक्फ सम्पत्ति का कोई अन्य प्रबंध करने में बोर्ड, यथासंभव वाफिक के निदेशों के अनुसार, यदि कोई हो, कार्य करेगा ;

(त) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन मुतवल्ली या प्रबंध समिति अथवा पर्यवेक्षण समिति को निदेश देना; और

(थ) विधि-न्यायालय में वक्फों से सम्बद्ध वादों तथा कार्यवाहियों को संस्थित करना और उनका प्रतिवाद करना।

20— ऐसे प्रतिबंधो तथा सीमाओं के अधीन रहते हुये, जो निर्दिष्ट की जायें, बोर्ड प्रतिनिधान

अधिकारो का

इस अधिनियम के अधीन अपने ऐसे अधिकार और कर्तव्य, जो वह आवश्यक समझे, अध्यक्ष या सचिव अथवा बोर्ड के किसी अन्य कर्मचारी या किसी सदस्य को प्रतिनिहित कर सकता है और उसी प्रकार ऐसे किसी प्रतिनिधान को वापस ले सकता है।

21— (1) कोई व्यक्ति बोर्ड का अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त किये जाने या बने रहने सदस्यों का

अनर्हतायें तथा

के लिये अनर्हित होगा, यदि वह—

हटाया जाना

(क) गैर मुसलमान हो ;

(ख) इक्कीस वर्ष से कम आयु का हो ;

(ग) विकृत चित्त का व्यक्ति हो ;

(घ) अनुन्मुक्त दिवालिया हो ;

(ङ) नैतिक पतन वाले अपराध के लिये सिद्धदोष ठहराया गया हो ; अथवा

(च) कुप्रबंध या भ्रष्टाचार के कारण पहले कभी सदस्य के पद से हटाया गया हो या किसी सक्षम न्यायालय की आज्ञा द्वारा उक्त कारणों से किसी विश्वास के पद से हटाया गया हो।

(2) [बोर्ड अपने अध्यक्ष अथवा अपने किसी सदस्य को हटा सकता है, यदि वह]¹ —

(क) उपधारा (1) में उल्लिखित किन्हीं अनर्हताओं से ग्रस्त हो या हा जाये; या

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 वर्ष 1995 की धारा 6(क)(एक) द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960}

{धारा 22-25}

(ख) कार्य करने से इंकार करे या कार्य करने में असमर्थ हो अथवा [चाहे अध्यक्ष, सदस्य अथवा अन्यथा किसी रूप में]² ऐसी रीति से कार्य करें, जिसे बोर्ड कोई ऐसा स्पष्टीकरण सुनने के पश्चात् जो वह दे, वक्फों के हित के प्रतिकूल समझे; या

(ग) बोर्ड की अनुज्ञा के बिना अथवा पर्याप्त कारण के बिना बोर्ड की पांच लगातार बैठकों से अनुपस्थित रहे।

(3) उपधारा (2) के अधीन [अध्यक्ष अथवा]³ किसी सदस्य का हटाया जाना सरकारी गजट में विज्ञापित किया जायेगा।

22— बोर्ड का अध्यक्ष या कोई सदस्य बोर्ड को पत्र लिखकर अपने पद का त्याग का
अध्यक्ष तथा सदस्यों
कर सकता है और बोर्ड द्वारा ऐसा त्याग—पत्र स्वीकार किये जाने पर यह समझा जायेगा कि त्याग पत्र
उसने अपना पद रिक्त कर दिया है।

[22—क— कोई व्यक्ति, जो राज्य विधान मंडल का सदस्य होने अथवा एडवोकेट या
समाप्ति
सदस्यता की
मुतवल्ली या किसी अन्य निकाय का प्रतिनिधि होने की हैसियत से बोर्ड का सदस्य है,
उस हैसियत पर न रहने पर बोर्ड का सदस्य न रह जायेगा।]¹

[23— अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य के पद से हटाये जाने, पद त्याग करने, मृत्यु हो
रिक्ति की पूर्ति
जाने या अन्य कारण से उसका स्थान रिक्त हो जाने पर इस अधिनियम में व्यवस्थित
रीति से उसके स्थान पर, यथास्थिति एक नया अध्यक्ष अथवा सदस्य निर्वाचित, आमेलित
या नाम—निर्दिष्ट किया जायेगा और ऐसा अध्यक्ष अथवा सदस्य तब तक पदासीन रहेगा
जब तक कि वह अध्यक्ष अथवा सदस्य, जिसके स्थान की वह पूर्ति करता है, ऐसी रिक्ति
न होने की दशा में पदासीन रहने का हकदार होगा।]⁴

24— बोर्ड को कोई कार्य या कार्यवाही, केवल [उसके अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य
सदस्य पदों की
रिक्तियों के पदों की किसी रिक्ति]⁵ या उसके संघटन में किसी त्रुटि के कारण अवैध नहीं समझी
का संघटन में त्रुटि,
बोर्ड
जायेगी।
के कार्यो या
कार्यवाहियों
को अवैध न करेगी
।

25— किसी वक्फ का मुतवल्ली, बोर्ड को याचिक देकर उससे ऐसे वक्फ की
बोर्ड की राय
सम्पत्ति के प्रबंध या प्रशासन को प्रभावित करने वाले किसी प्रश्न पर अपनी राय, मंत्रणा
या निर्देश देने के लिये प्रार्थना कर सकता है और बोर्ड को उस पर अपनी राय, मंत्रणा
या निर्देश देना आवश्यक होगा :

प्रतिबंध यह है कि बोर्ड किसी ऐसे प्रश्न उक्त राय, मंत्रणा या निर्देश देने के
लिये बाध्य न होगा, जो उसकी राय में संक्षेपतः निस्तारण के लिये उपयुक्त प्रश्न न हो
या जब बोर्ड, किसी अन्य कारण से, जो अभिलिखित किया जायेगा, ऐसा करना
अनुपयुक्त समझे।

1. उ0प्र0अधिनियम सं0 11, 1974 ई0 की धारा 6 द्वारा बढ़ायी गयी।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 वर्ष 1995 की धारा 6(क)(दो) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 6(ख) द्वारा बढ़ा दिया गया।
4. उपर्युक्त की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित।

[उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960]

[धारा 26—29]

26— [(1)]¹ बोर्ड अपनी कार्यवाहियों या अन्य अभिलेखों का जो उसकी अभिरक्षा में
अभिलेखों का
निरीक्षण तथा
हों, निरीक्षण करने तथा उनकी प्रतिलिपियां जारी करने की अनुमति ऐसे शुल्क दिये जाने पर
प्रतिलिपियों का
जारी किया
और ऐसे प्रतिबंधों के अधीन रहते हुये दे सकता है, जो नियत किये जाये। इस धारा के अधीन
जाना
जारी की गयी समस्त प्रतिलिपियां बोर्ड के सचिव [या बोर्ड के ऐसे अधिकारी, जिसे सचिव
ऐक्ट
सं0 11, 1872 सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा तदर्थ प्राधिकृत करें]² द्वारा इंडियन इविडेंस ऐक्ट, 1872 की धारा
76 में व्यवस्थित रीति से प्रमाणित की जायेगी [और कार्यवाही या अभिलेख के प्रथम दृष्ट या
साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायेगी और उसमें अभिलिखित विषय या व्यवहार के लिये ऐसे
प्रत्येक वाद में तथा उस सीमा तक साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायेगी और जहां तक मूल
कार्यवाही या अभिलेख यदि वह प्रस्तुत किया गया होता, ऐसे विषय या व्यवहार को प्रमाणित
करने के लिये ग्राह्य होता।]³

{(2) बोर्ड के किसी सदस्य, अधिकार, या सेवक से, किसी ऐसी विधिक कार्यवाही में जिसमें बोर्ड एक पक्ष न हो, कोई ऐसा रजिस्टर या लेख्य जिसकी अर्न्तवस्तुएं उपधारा (1) के अधीन प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा सिद्ध की जा सकती हो, प्रस्तुत करने की, अथवा उसमें अभिलिखित विषय या व्यवहार को सिद्ध करने के लिये साक्षी के रूप में, उपस्थित होने की, तब तक अपेक्षा न की जायेगी जब तक कि न्यायालय उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेगें, ऐसी आज्ञा देना आवश्यक न समझे।}

27— (1) बोर्ड, जब कभी यह आवश्यक समझे, किसी स्थानीय क्षेत्र में उस क्षेत्र के किसी वक्फ या सब वक्फों के पर्यवेक्षण के लिये उपसमिति की स्थापना कर सकती है।

उप-समितियां

(2) उक्त उप-समिति का संघटन, कृत्य और कर्तव्य वे होंगें, जो बोर्ड द्वारा [समय-समय पर अवधारित किये जाये।]

अध्याय 3

वक्फों की रजिस्ट्री

28— इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व यू0पी0 मुस्लिम वक्फ ऐक्ट, 1936 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई वक्फ, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत समझी जायेगी।

आवृत्ति

यू0पी0ऐक्ट सं0 13,

1936

29— (1) प्रत्येक अन्य वक्फ की, चाहे वह इस अधिनियम के अधीन हो या न हो चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व बनाया गया हो या उसके पश्चात्, उस फिरके के जिसका वह वक्फ हो, बोर्ड के कार्यालय में रजिस्ट्री की जायेगी।

रजिस्ट्री

(2) वक्फ सम्पत्ति पर कब्जा पाने के तीन मास के भीतर मुतवल्ली रजिस्ट्री के लिये प्रार्थना पत्र देगा :

प्रतिबंध यह है कि ऐसा प्रार्थना पत्र वाकिफ या उसके वंशज अथवा वक्फ के किसी हितग्राही या उस फिरके के, जिसका वह वक्फ हो, किसी मुसलमान द्वारा दिया जा सकता है।

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26, 1966 ई0 की धारा 4 द्वारा रखे गये।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 28, 1971 ई0 की धारा 9 (1) द्वारा धारा 26, 26 (1) के रूप में पुर्नसंख्यांकित की गई।
3. उपर्युक्त की धारा 9 (1) द्वारा बढ़ायी गयी।
- 4.

उपर्युक्त द्वारा बढ़ाया गये। 5. उपर्युक्त की धारा 9 (2) द्वारा बढ़ायी गयी।

{उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960}

[धारा 30]

(3) रजिस्ट्री के लिये प्रार्थना पत्र ऐसे प्रपत्र में, ऐसी रीति से और ऐसे स्थान पर दिया जायेगा, जो बोर्ड नियत करें, और उसमें यथासंभव निम्नलिखित ब्यौर होंगें—

(क) वक्फ सम्पत्तियों का विवरण, जो उन सम्पत्तियों की पहचान के लिये पर्याप्त हों ;

(ख) ऐसी सम्पत्तियों से होने वाली सकल वार्षिक आय ;

(ग) वक्फ सम्पत्तियों के संबंध में प्रतिवर्ष देय मालगुजारी, उपकर और स्थानीय कर तथा कर की धनराशि ;

(घ) वक्फ सम्पत्तियों की आय वसूल करने में प्रतिवर्ष होने वाले व्ययों का तखमीना ;

(ङ) वक्फ के अधीन निम्नलिखित के लिये अलग रखी गयी धनराशि —

(1) मुतवल्ली का वेतन और व्यक्तियों के भत्तें ;

(2) पूर्णतया धार्मिक प्रयोजन;

(3) पूर्ण प्रयोजन ; और

(4) कोई अन्य प्रयोजन; और

(च) बोर्ड द्वारा नियत कोई अन्य विवरण।

(4) ऐसे प्रत्येक प्रार्थना पत्र के साथ वक्फ विलेख की एक प्रतिलिपि होगी अथवा यदि ऐसा कोई विलेख निष्पादित न किया गया हो या उसकी प्रतिलिपि प्राप्त न की जा सकती हो तो उस प्रार्थना-पत्र में वक्फ की उत्पत्ति, प्रकार और उद्देश्यों के पूर्ण विवरण, जहां तक वे प्रार्थी को ज्ञात हों, दिये होंगे ।

(5) उपधारा (2) के अधीन दिया गया प्रत्येक प्रार्थना-पत्र प्रार्थी द्वारा, कोड आफ सिविल प्रोसीजर, 1908 के अभिवचनों (pleadings) के हस्तांकन और सत्यापन के लिये व्यवस्थित रीति से हस्तांकित और सत्यापित किये जायेगा ।

(6) बोर्ड प्रार्थी से ऐसे अन्य ब्यौरे या सूचना, जो वह आवश्यक समझे, देने की अपेक्षा कर सकता है ।

(7) रजिस्ट्री के लिये प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर, बोर्ड, वक्फ की रजिस्ट्री करने के पहले, प्रार्थना पत्र की वास्तविकता तथा वैधता और उसमें दिये गये किसी ब्यौरे की शुद्धता के संबंध में ऐसी जांच कर सकता है, जो वह उचित समझे, और यदि प्रार्थना-पत्र, वक्फ की सम्पत्ति का प्रशासन करने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा दिया जाये तो बोर्ड, वक्फ की रजिस्ट्री करने से पहले प्रार्थना-पत्र का नोटिस वक्फ सम्पत्ति का प्रशासन करने वाले व्यक्ति को देगा और उसे सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात्, ऐसी आज्ञा पारित करेगी, जो वह उचित समझे ।

(8) उपधारा (7) के अधीन बोर्ड की आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उस आज्ञा के दिनांक से 90 दिन के भीतर प्रार्थना पत्र देकर वह विवाद अधिकरण अभिदिष्ट कर सकता है, जो उस पर अपना निर्णय देगा ।

30— बोर्ड एक वक्फ रजिस्टर रखेगा, जिसमें प्रत्येक वक्फ से सम्बद्ध वक्फ विलेखों की प्रतिलिपियां, यदि वे उपलब्ध हों, और निम्नलिखित ब्यौरे होंगे; अर्थात् :-

(क) वक्फ का वर्ग ;

(ख) मुतवल्ली का नाम ;

{उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960}

(ग) वक्फ विलेख के अधीन अथवा रूढ़ि या प्रथा द्वारा मुतवल्ली के पद के उत्तराधिकार का नियम ;

(घ) समस्त वक्फ सम्पत्तियों और उनसे सम्बद्ध समस्त स्वत्व विलेखों तथा लेख्यों के ब्यौरे ;

(ङ) रजिस्ट्री के समय प्रशासन की योजना और व्यय की योजना के ब्यौरे ; तथा

(च) ऐसे अन्य ब्यौरे, जो नियत किये जाये ।

31— बोर्ड वक्फ की रजिस्ट्री कराने के निमित्त प्रार्थना देने या वक्फ के संबंध में कराने

कोई सूचना देने के लिये मुतवल्ली को निदेश सकता है अथवा स्वयं सूचना एकत्र कर सकता संशोधन है और वक्फ की रजिस्ट्री करा सकता है या किसी भी समय वक्फों के रजिस्टर को संशोधित कर सकता है ।

32— (1) यदि मुतवल्ली के मृत्यु के अथवा उसके सेवानिवृत्त होने या हटाये जाने में

के कारण रजिस्ट्रीकृत वक्फ के प्रबंधनों में कोई परिवर्तन हो जाये तो उस परिवर्तन की सूचना बोर्ड को, नया आना वाला मुतवल्ली तुरन्त देगा और कोई अन्य व्यक्ति भी सूचना दे सकता है ।

(2) यदि धारा 29 में उल्लिखित ब्यौरों में से किसी में कोई अन्य परिवर्तन हो जाये तो कि

मुतवल्ली वह परिवर्तन होने के दिनांक से तीन मास के भीतर उसकी सूचना बोर्ड को देगा । है या

33— (1) बोर्ड किसी ऐसी सम्पत्ति के संबंध में सूचना एकत्र कर सकता है या करवा सकता है, जिसके विषय में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि वह वक्फ सम्पत्ति है और वक्फ सम्पत्ति विशेष के संबंध में यह प्रश्न उठे कि वह सम्पत्ति है या नहीं तो वह (बोर्ड) ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह उचित समझे, उस प्रश्न का निर्णय कर सकता है ।

ऐक्ट सं० 5, 1908

वक्फ का रजिस्टर

{धारा 31-34}

वक्फ की रजिस्ट्री

तथा रजिस्टर का

करने का अधिकार

रजिस्ट्रीकृत वक्फों

परिवर्तन की विज्ञप्ति

इस बात का निर्णय

संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं

(2) उपधारा (1) के अधीन बोर्ड के निर्णय से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उस निर्णय के दिनांक से 90 दिन के भीतर प्रार्थना पत्र देकर वह विवाद अधिकरण को अभिदिष्ट कर सकता है जो उस पर अपना निर्णय देगा ।

अध्याय 4

बोर्डों की वित्त व्यवस्था

34— (1) ऐसे प्रत्येक वक्फ का, जिस पर यह अधिनियम प्रवृत्त होता है, मुतवल्ली प्रतिवर्ष बोर्ड को ऐसा अंशदान देगा, जो उसकी उत्तर प्रदेश में स्थित सम्पत्ति की शुद्ध वार्षिक आय के छः प्रतिशत अनधिक हो तो और जो बोर्ड, राज्य-सरकार की स्वीकृति के अधीन रहते हुये, समय समय पर अवधारित करें :

वक्फों द्वारा वार्षिक
अंशदान

प्रतिबंध यह है कि किसी ऐसे वक्फ के विषय में, जिसकी आय का कोई भाग वाकिफ या उसके वंशजों या परिवार के हित के लिये या किसी अन्य निजी प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाया जाता हो, उपर्युक्त अंशदान आय के उस भाग पर नहीं लिया जायेगा ।

(2) इस धारा के अधीन अंशदान इस अधिनियम के प्रचलित होने के दिनांक से देय होगा और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी अवधि के लिये किसी वक्फ से प्राप्त अंशदान इस अधिनियम के अधीन आरोपित अंशदान समझा जायगा और इस अधिनियम या तदधीन निर्मित नियमावली में व्यवस्थित रीति से वसूल किया जा सकेगा ।

{उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960}

{धारा 35-37}

(3) बोर्ड, वक्फों के किसी वर्ग के विषय में समय समय पर ऐसे अंशदान को किसी 1936

यू0पी0एक्ट सं0 13,

निर्दिष्ट अवधि के लिये कम कर सकता है या उसकी छूट दे सकता है, किन्तु प्रतिबंध यह है कि इस अधिनियम के अधीन या यू0पी0 मुस्लिम वक्फ ऐक्ट, 1936 के कम किये गये या छूट दिये गये अंशदान को पुनः आरोपित करना बोर्ड के अधिकार में होगा ।

(4) उपधारा (1) के अधीन देय अंशदान, राज्य सरकार या किसी स्थानीय अधिकारी को किन्हीं देय धनराशियों के अथवा वक्फ सम्पत्ति या उसकी आय पर किसी अन्य परिनियत भार (statutory charge) के पूर्व भुगतान के अधीन रहते हुये, वक्फ की आय पर प्रथम भार होगा और सम्बद्ध वक्फ के मुतवल्ली को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, बोर्ड द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर धारा 83 में व्यवस्थित रीति से वसूल किया जा सकेगा ।

(5) यदि कोई मुतवल्ली वक्फ की आय वसूल करे और ऐसे अंशदान का भुगतान करने से इंकार करे या उसमें उपेक्षा करे तो वह स्वयं भी ऐसे अंशदान का देनदार होगा और वह (अंशदान) उससे या उसकी सम्पत्ति से उपधारा (4) में व्यवस्थित रीति से वसूल किया जा सकेगा ।

(6) किसी वक्फ का मुतवल्ली अपने द्वारा उपधारा (1) के अधीन देय अंशदानों को, उस व्यक्ति को वसूल कर सकता है जो वक्फ से कोई आर्थिक या अन्य पार्थिव लाभ प्राप्त करने के हकदार हों, किन्तु ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक से वसूलने योग्य धनराशि का कुल अंशदान वही अनुपात होगा, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त लाभों के मूल्य का वक्फ की सम्पूर्ण शुद्ध वार्षिक आय से हो ।

35— [(1) यदि कोई वक्फ, 1950 ई0 का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि

उत्तर प्रदेश
अधिनियम

व्यवस्था की अधिनियम की धारा 99 के अधीन पुनर्वासन अनुदान के मद्दे कोई वार्षिक वृत्ति पाने का हकदार हो, तो ऐसे वक्फ द्वारा धारा 34 के अधीन देय अंशदान का भुगतान, उक्त वार्षिक वृत्ति और उक्त अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत जारी किये गये जमींदारी विनाश प्रतिकर बंध, ऋण प्रमाण पत्रों पर वक्फ को देय ब्याज के कुल योग में छः प्रतिशत तक, राज्य सरकार, बोर्ड के सचिव द्वारा नियत प्रपत्र में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर, ऐसी वार्षिक वृत्ति से कर सकती है] :¹

संख्या 13, 1936

प्रतिबंध यह है कि भुगतान की गई धनराशि वार्षिक वृत्ति के छः प्रतिशत से अधिक न होगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन तथा उसके अनुसार राज्य सरकार द्वारा किया गया किसी धनराशि का भुगतान उसे दायित्व से इस प्रकार भुगतान की गई धनराशि की मात्रा तक पूर्णतया विमुक्त करेगा ।

36— इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिये बोर्ड, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, ऐसी धनराशियां और ऐसी शर्तों पर उधार ले सकती है, जो राज्य सरकार अवधारित करें ।

37— (1) धारा 34 के अधीन बोर्ड द्वारा प्राप्त सभी धन से तथा इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा वसूल किये गये सभी अन्य धन से एक निधि बनेगी जो यथास्थिति “उत्तर प्रदेश शिया वक्फ निधि” या “उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ निधि” कहलायेगी ।

(2) वक्फ निधि, बोर्ड के नियंत्रण के अधीन रहते हुये, निम्नलिखित के लिये उपयोग में लाई जायेगी :—

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 26, 1966 ई० की धारा 5 द्वारा रखे गये ।

{उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960}

{धारा 38-41}

(क) धारा 36 के अधीन लिये गये किसी ऋण का प्रतिदान और उस पर ब्याज का भुगतान ;

(ख) वक्फ निधि की लेखा-परीक्षा के व्यय का भुगतान ;

(ग) बोर्ड के सचिव और कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों का और यदि बोर्ड द्वारा आवश्यक समझा जाये तो उप समिति के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों का भुगतान ;

(घ) बोर्ड के तथा यदि कोई उपसमिति हो तो उसके अध्यक्ष, सदस्यों, सचिव और कर्मचारियों कोयात्रा भत्ता का भुगतान ; और

(ङ) इस अधिनियम के अधीन या द्वारा आरोपित कर्तव्यों के पालन तथा प्राप्त अधिकारों के प्रयोग में बोर्ड द्वारा, तथा यदि कोई उप-समिति हो तो उसके द्वारा किये गये सभी व्ययों का भुगतान ।

(8) यदि उपधारा (2) में निर्दिष्ट व्यय पूरा करने के पश्चात् बोर्ड की आय में से कोई अतिरिक्त या संचित धनराशि शेष रह जाये तो बोर्ड, उसका अथवा उसके किसी भाग का प्रयोग वक्फ सम्पत्तियों के परिरक्षण तथा संरक्षण के लिये या ऐसे धार्मिक, धर्मशील अथवा पूर्ण प्रयोजनों के लिये, जो बोर्ड उपयुक्त समझे, कर सकता है ।

38— बोर्ड प्रत्येक वर्ष ऐसे प्रपत्र में और ऐसे समय, जो नियत किया जाये, अगले वर्ष के लिये बजट तैयार करेगा, जिसमें उस वर्ष की अनुमानित प्राप्तियां तथा व्यय दिखाये जायेंगे और वह उसकी एक प्रतिलिपि राज्य सरकार को भेजेगा ।

बोर्ड का बजट

39— (1) बोर्ड ऐसी लेखा पुस्तकें ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से रखवायेगा, जो नियत की जायें ।

बोर्ड के लेखे

(2) बोर्ड के लेखों की वार्षिक लेखा-परीक्षा तथा जांच बोर्ड द्वारा नियुक्त राज्य सनद- प्राप्त लेखाकारों (Chartered Accountants) द्वारा की जायगी ।

(3) लेखा-परीक्षकों के प्रतिवेदन में, अन्य बातों के साथ-साथ, अनियमित, अवैध या अनुचित व्यय अथवा धनराशियों या अन्य सम्पत्ति की वसूली में की जाने वाली चूक के अथवा हानि के सभी मामलों का उल्लेख होगा और प्रतिवेदन में उस व्यक्ति का नाम भी होगा, जो लेखा परीक्षकों की राय में, अपनी उपेक्षा या अपचार के कारण उस व्यय, चूक अथवा हानि के लिये उत्तरदायी हो ।

40— धारा 39 के अधीन नियुक्त लेखा परीक्षक अथवा प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रतिवेदन पर

लेखा परीक्षा

प्रस्तुत करेंगे और वह (राज्य सरकार) उस प्रतिवेदन की जांच करेगी और उसमें उल्लिखित किसी विषय के संबंध में किसी व्यक्ति से स्पष्टीकरण मांग सकती है, प्रतिवेदन पर ऐसी आज्ञा देगी जो वह उपयुक्त समझे ।

सरकार आज्ञा देगी

41— प्रत्येक धनराशि का, जो लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में किसी व्यक्ति से प्राप्य वसूली

प्राप्त धनराशियों की

प्रमाणित की गई हो, जब तक कि वह प्रमाण पत्र धारा 40 के अधीन दी गई राज्य सरकार की आज्ञा द्वारा परिष्कृत या रद्द न कर दिया जाये और प्रत्येक ऐसी धनराशि का, जो ऐसी परिष्कृत प्रमाण पत्र के अनुसार प्राप्य हों, भुगतान ऐसे व्यक्ति द्वारा उचित समय के भीतर, जो बोर्ड निश्चय करे, किया जायेगा और यदि भुगतान उस समय के भीतर न किया जाय तो देय धनराशि सम्बद्ध व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् धारा 83 में व्यवस्थित रीति से वसूल की जा सकती है ।

{उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960}

{धारा 42-46}

अध्याय 5

राज्य सरकार के विशेष अधिकार

42— राज्य सरकार —

राज्य सरकार द्वारा सामान्य
पर्यवेक्षण

(1) बोर्ड का सामान्य पर्यवेक्षण करेगी और उससे कोई लेख्य अभिलेख या सूचना मांग सकती है ; तथा

(2) अपने द्वारा नियुक्त किये जाने वाले लेखा परीक्षक द्वारा बोर्ड के लेखों की लेखा परीक्षा की जाने की भी अपेक्षा कर सकती है ।

43— राज्य सरकार, समय-समय पर बोर्ड को ऐसे सामान्य या विशेष निदेश दे निदेश

राज्य सरकार को

सकती है, जो राज्य सरकार उचित समझे और बोर्ड अपने कृत्यों के सम्पादन में ऐसे निदेशों
षक्ति
का पालन करेगा ।

जारी करने की

44— बोर्ड के घोर कुप्रबंध और उसकी निरन्तर कर्तव्य विमुखता की दशा में अथवा

बोर्ड का अवक्रमण

राज्य सरकार की राय में बोर्ड ने विधि द्वारा अपने में निहित अधिकारों का ऐसा घोर
दुरुपयोग किया हो या उसने ऐसा अनधिकृत कार्य किया हो कि उसके (बोर्ड के) बने
रहने से उसके सार्वजनिक हित के लिये हानिकारक सिद्ध होने की संभावना हो तो राज्य
सरकार बोर्ड को उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपों का स्पष्टीकरण देने का अवसर देने
के पश्चात् और उसके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर, यदि कोई हो तो, विचार करने के
पश्चात् सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा से अवक्रान्त कर सकती है ।

45— (1) यदि बोर्ड को धारा 44 के उपबंधों के अधीन अवक्रान्त कर दिया गया हो, बोर्ड के

राज्य सरकार द्वारा

तो राज्य सरकार बोर्ड के कृत्यों का सम्पादन करने के लिये एक प्रशासक नियुक्त करेगी, जो
हाथ में
सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड की दशा में शिया हो ।

कृत्यों को अपने

लिया जाना ।

(2) धारा 44 के अधीन बोर्ड के अवक्रमण की विज्ञप्ति प्रकाशित होने पर—

(क) बोर्ड के सभी सदस्य, अवक्रमण के दिनांक से, अपने अपने पद
रिक्त कर देंगे ; और

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से
प्रयोक्तव्य या सम्पादनीय समस्त अधिकार और कर्तव्य, अवक्रमण की अवधि में,
प्रशासक द्वारा प्रयुक्त और सम्पादित किये जायेंगे और वह प्रशासक सभी
प्रयोजनों के लिये बोर्ड समझा जायेगा ।

46— (1) यदि धारा 44 के उपबंधों के अधीन बोर्ड का अवक्रमण कर दिया गया हो तथा

नये बोर्ड का निर्माण

तो अवक्रमण के दिनांक से एक वर्ष के भीतर इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार एक नया
प्रशासन का
बोर्ड संघटित किया जायेगा ।

उसे वक्फों के
हस्तान्तरण

(2) ज्यों ही उपधारा (1) के अधीन नया बोर्ड संघटित हो जाये, राज्य सरकार
सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, वक्फों का प्रशासन उस बोर्ड को हस्तांतरित कर देगी
और तत्पश्चात् राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक उस विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक
से बोर्ड के कृत्यों का सम्पादन बन्द कर देगा ।

{उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960}

{धारा 47-49}

47— (1) राज्य सरकार [धारा 2 की उपधारा (2) में अभिदिष्ट वक्फ, निबंध और सम्बद्ध न्यास से सम्बद्ध प्रशासन की योजना निश्चित करेगी]¹।
सम्पत्तियों का

हुसेनासबाद तथा
वक्फों की
प्रशासन

ऐक्ट सं० 15, 1878

(2) राज्य सरकार, शिया सेन्ट्रल बोर्ड से परामर्श करके, उपधारा (1) के अधीन निश्चित प्रशासन की योजना में संशोधन तथा परिष्कार कर सकती है और राज्य सरकार उन [वक्फों, निबंधों और न्यासों]² के प्रशासन के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी सन्देह या कठिनाईयों को दूर करने के लिये समय समय पर निदेश जारी कर सकती है ।

अध्याय 6

मुतवल्ली और वक्फ लेख

³48—धारा 19 की उपधारा (2) के खण्ड (ण) द्वारा प्रदत्त अधिकारों की व्यापकता का पद

वक्फ के मुतवल्ली

पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड यदि किसी वक्फ के मुतवल्ली का पद रिक्त हो—
से

रिक्त होने पर बोर्ड
आपातिक अधिकार

(क) किसी व्यक्ति को ऐसी अवधि के लिये और ऐसी शर्तों पर जो वह उचित समझे, मुतवल्ली के रूप के रूप में कार्य करने के लिये नियुक्त कर सकता है ; या

(ख) सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा वक्फ का प्रत्यक्ष प्रबंध [पांच वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिये, जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट की जाये]⁴ अपने हाथ में ले सकता है :

प्रतिबंध यह है कि किसी विलेख द्वारा सृजित किसी वक्फ की दशा में, बोर्ड इस धारा के अधीन केवल तभी कार्य कर सकता है जब ऐसे विलेख की शर्तों के अधीन मुतवल्ली के रूप में नियुक्ति के लिये कोई व्यक्ति सक्षम न हो]³

49— प्रत्येक मुतवल्ली का यह कर्तव्य होगा कि वह—
कर्तव्य

मुतवल्लियों के

(क) इस अधिनियम के उपबंधों से सुसंगत ऐसे समस्त निदेशों का पालन करें जो बोर्ड द्वारा बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से धारा 27 के अधीन संघटित उपसमिति द्वारा उसे दिये गये हों ;

(ख) ऐसी विवरणियां प्रस्तुत करें तथा ऐसी सूचना ब्यौरे दे, जो समय-समय पर बोर्ड या उप-समिति द्वारा अपेक्षित हों ;

(ग) वक्फ की सम्पत्ति, लेखों या अभिलेखों का या उनसे सम्बद्ध विलेखों तथा लेख्यों का निरीक्षण करने दे ;

(घ) सभी सार्वजनिक देय धनराशियां को चुकता करें ; तथा

(ङ) कोई ऐसा अन्य कार्य करें, जिसे इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन करना उसके लिये वैधतः अपेक्षित हो ।

1. उ०प्र० अधिनियम सं० 25, 1963 ई० की धारा 6 (1) द्वारा रखे गये जो 3 सितम्बर, 1960 से प्रचलित समझे जायें ।
2. उपर्युक्त की धारा 6 (2) द्वारा रखे गये ।
3. उ०प्र० अधिनियम सं० 26, 1966 ई० की धारा 6 द्वारा रखे गये ।
4. उ०प्र० अधिनियम सं० 28, 1971 ई० की धारा 11 द्वारा रखे गये ।

{उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960}
49क-49ख}

{धारा

{49-क— ऐसे विलेख या कारण में, यदि कोई हो, जिसके द्वारा वक्फ सृजित किया सम्पत्ति

वक्फ की स्थावर

गया हो, दी गई किसी बात के होते हुये भी, वक्फ की किसी स्थावर सम्पत्ति का —

का अन्तरण

(1) विक्रय, दान, बन्धक या विनिमय ; या

(2) कृषि भूमि की दशा में तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिये, या अकृष्य भूमि या भवन की दशा में एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये, पट्टे के रूप में, अन्तरण बोर्ड की पूर्व स्वीकृति के बिना वैध न होगा ।

49-ख— (1) यदि बोर्ड का ऐसी रीति से जो नियत की जाये, जांच करने के उल्लंघन

धारा 49-क का

पश्चात् यह समाधान हो जाये कि धारा 30 के अधीन रखे गये वक्फ रजिस्टर में वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज कोई स्थावर सम्पत्ति धारा 49-क के उपबंधों का उल्लंघन करके बोर्ड की पूर्व प्राप्ति

करके अन्तरित वक्फ सम्पत्ति की पुनः

स्वीकृति के बिना अन्तरित कर दी गई हो, तो वह उस कलेक्टर को, जिसके क्षेत्राधिकार के भीतर सम्पत्ति स्थित हो, सम्पत्ति का कब्जा लेने और उसे दिये जाने का अध्याचन कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन अध्याचन प्राप्त होने पर, कलेक्टर ऐसी आज्ञा देगा, जिसमें सम्पत्ति का काबिज व्यक्ति को आज्ञा की तामील के दिनांक से तीस दिन की अवधि के भीतर सम्पत्ति बोर्ड को दे देने का निदेश होगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन दी गई प्रत्येक आज्ञा—

(क) उस व्यक्ति को, जिसके लिये वह अभिप्रेत हो, देकर, या प्रस्तुत करके, या उसे डाक द्वारा भेज कर ; या

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति न मिले, तो उसके अन्तिम ज्ञात निवास स्थान अथवा कारोबार के स्थान के किसी प्रमुख भाग पर चिपकाकर, या उसके कुटुम्ब के किसी वयस्क पुरुष सदस्य अथवा सेवक को देकर या प्रस्तुत करके, अथवा उसे सम्पत्ति के, जिसके संबंध में न हो, किसी प्रमुख भाग पर चिपकाकर, तामील की जायेगी :

प्रतिबंध यह है कि यदि वह व्यक्ति, जिस पर आज्ञा तामील की जानी हो, अवयस्क हो, तो उसके अभिभावक पर या उसके कुटुम्ब के किसी वयस्क पुरुष सदस्य या सेवक पर की गई तामील उस अवयस्क पर तामील समझी जायेगी।

(4) उपधारा (2) के अधीन कलेक्टर की आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति आज्ञा की तामील के दिनांक से तीस दिन की अवधि के भीतर उस जिला न्यायाधीश के न्यायालय में, जिसके क्षेत्राधिकार में सम्पत्ति स्थित हो, अपील कर सकता है।

(5) जिला न्यायाधीश या तो स्वयं अपील का निस्तारण कर सकता है अथवा उसे अपने प्रशासकीय नियंत्रणाधीन अपर जिला न्यायाधीश या सिविल न्यायाधीश के न्यायालय को हस्तांतरित कर सकता है और किसी ऐसी अपील को वापस लेकर या तो उसका निस्तारण कर सकता है अथवा उसे अपने प्रशासकीय नियंत्रणाधीन अपर जिला न्यायाधीश या सिविल न्यायाधीश के किसी अन्य न्यायालय को हस्तान्तरित कर सकता है और प्रत्येक दशा में न्यायालय का निर्णय अन्तिम होगा।

(6) यदि उपधारा (2) के अधीन दी गई आज्ञा का पालन न किया गया हो और ऐसी आज्ञा के विरुद्ध अपील प्रस्तुत किये बिना अपील प्रस्तुत करने की अवधि समाप्त हो गई हो, अथवा नियत समय के भीतर प्रस्तुत अपील, यदि कोई हो, खारिज कर दी गई हो, तो कलेक्टर उस सम्पत्ति का, जिसके संबंध में आज्ञा दी गई हो, कब्जा लेगा जिसके लिये वह ऐसे बल का प्रयोग करेगा, जो आवश्यक हो, और फिर कब्जा बोर्ड को दे देगा।

(7) इस धारा के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करने में कलेक्टर ऐसे नियमों द्वारा निर्देशित होगा, जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ बनाये जायें।¹

1. उ०प्र० अधिनियम सं० 28, 1971 ई० की धारा 12 द्वारा धारायें 49-क एवं 49-ख बढ़ाई गई।

{उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960}

{धारा 50-53}

50— विशेषतः और धारा 49 में नियत कर्तव्यों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले वक्फों का

मुतवल्लीयों द्वारा

बिना, वक्फ का प्रत्येक मुतवल्ली—
प्रस्तुत

बजट तथा लेखे
किया जाना

(क) प्रत्येक वर्ष, अगले वित्तीय वर्ष के लिये एक बजट तैयार करेगा जिसमें ऐसे प्रपत्र में, जो नियत किया जाये, उस वर्ष की अनुमानित प्राप्तियां तथा व्यय दिखाये जायें और उसे अनुमोदनार्थ उस वर्ष के 31 मार्च के पूर्व बोर्ड को प्रस्तुत करेगा ;

(ख) प्रत्येक वर्ष पहली मई के पूर्व बोर्ड को, विवरण प्रस्तुत करने के ठीक पहले के 31 मार्च को समाप्त होने वाले बारह मासों की अवधि में या उक्त अवधि के उस भाग में जिसमें इस अधिनियम के उपबंध वक्फ पर प्रवृत्त हों, वक्फों की ओर से मुतवल्ली द्वारा प्राप्त या व्यय की गयी सभी धनराशियों के लेखों का एक पूर्ण और सही विवरण ऐसे प्रपत्र में और ऐसे ब्यौरो के साथ प्रस्तुत करेगा, जो नियत किये जाये और उसी रीति से सत्यापित किया गया हो जो अभिकथनों के सत्यापन के लिये कोड आफ प्रोसीजर, 1908 द्वारा नियत की गई है :

प्रतिबंध यह है कि वक्फ-अलल-औलाद के संबंध में मुतवल्ली द्वारा प्रस्तुत किये जाने के लिये अपेक्षित लेखों का विवरण आय के केवल ऐसे भाग के विषय में होगा, जो धार्मिक या पूर्ण प्रयोजनों के लिये निर्दिष्ट किया गया हो या अलग रखा गया हो।

ऐक्ट सं० 5, 1908

51— (1) धारा 50 के अधीन बोर्ड को प्रस्तुत किए गए वक्फों के लेखों की लेखा लेखा

वक्फों के लेखों की

परीक्षा तथा जांच प्रतिवर्ष या अन्य ऐसे समयान्तरों पर, जो बोर्ड अवधारित करे, धारा 18 के अधीन नियुक्त लेखा-परीक्षक द्वारा की जायगी।

परीक्षा

(2) लेखा-परीक्षक अपना प्रतिवेदन बोर्ड को प्रस्तुत करेगा और लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में, अन्य बातों के साथ-साथ, अनियमित, अवैध या अनुचित व्यय अथवा धनराशि या अन्य सम्पत्ति की वसूली में चूक अथवा मुतवल्ली की उपेक्षा या अवचार के कारण हुई धन की हानि या उसके अपव्यय के सभी मामलों का और किसी ऐसे अन्य मामले का उल्लेख होगा, जिसे लेखा-परीक्षक सूचित करना आवश्यक समझे; उक्त प्रतिवेदन में उस व्यक्ति का नाम भी होगा जो लेखा परीक्षक की राय में उस व्यय अथवा चूक के लिये उत्तरदायी हो और लेखा-परीक्षक प्रत्येक ऐसे मामले में ऐसे व्यय अथवा हानि की धनराशि को प्रमाणित करेगा।

(3) वक्फ के लेखों परीक्षा के व्यय का भुगतान वक्फ निधि से किया जायेगा।

52— बोर्ड लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की परीक्षा करेगा और उसमें उल्लिखित किसी प्रतिवेदन पर

लेखा परीक्षा

मामले के संबंध में किसी व्यक्ति का स्पष्टीकरण मांग सकता है और प्रतिवेदन पर ऐसी आज्ञा देगा, जो वह उपयुक्त समझे।

बोर्ड आज्ञा देगा

53— (1) प्रत्येक धनराशि का, जो धारा 51 के अधीन लेखा परीक्षक द्वारा अपने वसूली

देय धनराशियों की

प्रतिवेदन में किसी व्यक्ति से प्राप्य प्रमाणित की गई हो, जब तक कि ऐसा प्रमाण पत्र धारा 52 के अधीन बोर्ड की आज्ञा द्वारा परिष्कृत या रद्द न कर दिया जाये, और प्रत्येक धनराशि का, जो परिष्कृत प्रमाण-पत्र के अनुसार प्राप्य हो, भुगतान ऐसे व्यक्ति द्वारा उसके लिये बोर्ड जारी किये जाये, मांग के नोटिस की तामील के पश्चात् साठ दिन के भीतर किया जायेगा।

(2) यदि ऐसा भुगतान ऊपर उल्लिखित अवधि के भीतर न किया जाये तो देय धनराशि, सम्बद्ध व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, बोर्ड द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर, धारा 83 में व्यवस्थित रीति से वसूल की जा सकती है।

[उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960]

[धारा 54-55]

54— (1) यदि मुतवल्ली बिना उचित कारण या हेतु के, जिसे सिद्ध करने का भार उसी पर होगा :—

शास्तियाँ

(क) वक्फ की रजिस्ट्री के लिये, धारा 29 के व्यवस्थानुसार, प्रार्थना पत्र न दे; या

(ख) इस अधिनियम के अपेक्षानुसार ब्यौरों अथवा लेखों के विवरण तथा विवरणियां प्रस्तुत न करें और लेखों की लेखा परीक्षा न कराये; या

(ग) बोर्ड या किसी उप-समिति द्वारा अपेक्षित सूचना या ब्यौरे न दें; या

(घ) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन वक्फ सम्पत्तियों तथा उनसे सम्बद्ध विलेखों और लेख्यों का निरीक्षण न करने दें; या

(ड) जांचों तथा अनुसंधानों में उस समय सहायता न दे जब बोर्ड द्वारा या किसी उपसमिति द्वारा, बोर्ड की आज्ञा के अधीन कार्य करने वाले अधीक्षक, निरीक्षक, लेखा परीक्षक या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उससे ऐसा करने के लिये कहा जाये; या

(च) वक्फ की किसी सम्पत्ति का कब्जा न दें, जब बोर्ड द्वारा उससे ऐसा करने की आज्ञा दी जाय; या

(छ) अपनी हस्तस्थ अतिरिक्त धनराशि को किसी मान्यता प्राप्त बैंक में जमा न करें, जब बोर्ड द्वारा उससे ऐसा करने का निदेश दिया जाये; या

(ज) बोर्ड या किसी उप-समिति द्वारा दिये गये इस अधिनियम के उपबंधों के सगत निदेशों का पालन न करें ; या

(झ) कोई ऐसा अन्य कार्य न करें, जिसके करने की उससे इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अपेक्षा की जाये,

तो वह प्रथम उल्लंघन के लिये पचास रुपये से और प्रत्येक अनुवर्ती उल्लंघन के लिये दो सौ रुपये से अनधिक ऐसे अर्थ दण्ड का भागी होगा, जो बोर्ड अवधारित करें ।

(2) राज्य सरकार, स्वतः या क्षुब्ध व्यक्ति द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर, किसी मामले में अभिलेख को, उस आदेश को, जिसके द्वारा उपधारा (1) के अधीन अर्थदण्ड आरोपित किया गया हो, शुद्धता, वैधता या औचित्य के विषय में अपना समाधान करने के मंगा सकती है और ऐसे आदेश दे सकती है जो वह उचित समझे ।

55—(1) बोर्ड, प्रबंध समिति से भिन्न मुतवल्ली को, उसे सुनवाई का अवसर देने के हटाया

मुतवल्लियों का

पश्चात् उसके पद से हटा सकता है, यदि—

जाना

(1) उसे धारा 54 के अधीन एक से अधिक अवसरों पर अर्थदण्ड दिया गया हो ; या

{(1—क) उसने, उचित कारण के बिना, लगातार दो वर्ष तक, धारा 34 के अधीन देय अंशदान न दिया हो ; या}

(2) उसे वक्फ की सम्पत्ति या धनराशि से सम्बद्ध ऐसे अपराध के लिये सिद्ध दोष ठहराया गया हो, जिसके कारण वह बोर्ड की राय में, मुतवल्ली के रूप में बने रहने के अयोग्य हो गया हो ; या

(3) उसे नैतिक पतन वाले अपराध के लिये सिद्धदोष ठहराया गया हो या उससे कोड आफ किमिनल प्रोसीजर, 1898 की धारा 109 या धारा 110 के अधीन प्रतिभूति देने की अपेक्षा की गई हो ; या

ऐक्ट सं० 5, 1898

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 28, 1971 ई० की धारा 13 द्वारा बढ़ाई गई ।

{उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960}

{धारा 56—58}

(4) वह वक्फ की किसी सम्पत्ति को अनुचित रूप से नष्ट या हस्तान्तरित करें; या

(5) वह दिवालिया निर्णीत किया गया हो; या

(6) वह बोर्ड की राय में किसी शारीरिक या मानसिक अशक्तता या नैतिक अपचार के कारण मुतवल्ली के कर्तव्यों का पालन करने में अयोग्य हो; या

(7) वह वक्फ सम्पत्ति के दुर्विनियोग या घोर कुप्रबंध का दोषी हो या उसने वक्फ के उचित प्रबंध के लिये बोर्ड द्वारा दिये गये निदेशों का अनुपालन करने में निरन्तर उपेक्षा की हो ।

(2) उपधारा (1) के अधीन हटाये जाने की आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति हटाये जाने की आज्ञा की सूचना मिलने के दिनांक से 90 दिन के भीतर प्रार्थना-पत्र देकर मामले की अधिकरण को अभिदिष्ट कर सकता है ।

अध्याय 7

बोर्ड के विशेष अधिकार

56— हितग्राही या वक्फ में स्वत्व रखने वाला कोई व्यक्ति, वक्फ के प्रशासन के प्रार्थना-पत्र संबंध में जांच करवाने के लिये या उसके लेखों के परीक्षण या उनकी लेखा परीक्षा के लिये बोर्ड को शपथ पत्र से समर्पित प्रार्थना-पत्र दे सकता है और बोर्ड ऐसी जांच, परीक्षण या लेखा परीक्षा कर सकता है या अपने अधिकारी अथवा धारा 27 के अधीन संघटित उप समिति के माध्यम से ऐसी जांच परीक्षण या लेखा परीक्षा करवा सकता है, जो वह उपयुक्त समझे।	जांच के लिये
57— यदि धारा 56 के अधीन दिये गये प्रार्थना-पत्र पर या स्वतः बोर्ड द्वारा की गई जांच के पश्चात्, बोर्ड की यह राय हो कि मुतवल्ली या प्रबंध समिति ने वक्फ के निबंधनों और शर्तों के अनुसरण से अन्यथा कार्य किया है तो वह (बोर्ड) मुतवल्ली या प्रबंध समिति को ऐसी कार्यवाही करने का निदेश दे सकता है, जो वह (बोर्ड) इष्टकर समझे।	बोर्ड द्वारा जांच
{57-क— (1) यदि बोर्ड का ऐसी रीति से जो नियत की जाये, जांच करने के अध्यासियों से	अप्राधिकृत
पश्चात् यह समाधान हो जाये कि धारा 30 के अधीन रखे गये वक्फ के रजिस्टर में वक्फ फिर से	वक्फ सम्पत्ति का
सम्पत्ति के रूप में दर्ज कोई स्थावर समिति किसी व्यक्ति के अप्राकृतिक अध्यासन में है तो वह उस कलेक्टर को, जिसके क्षेत्राधिकार में सम्पत्ति स्थित हो, सम्पत्ति का कब्जा लेने और उसे बोर्ड को देने का अध्याचन कर सकता है।	कब्जा लेना
(2) उपधारा (1) के अधीन किसी अध्याचन के संबंध में धारा 49—ख की उपधारा (2), (3), (4), (5), (6) तथा (7) के उपबंध आवश्यक परिवर्तन सहित उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन किसी अध्याचन के संबंध में लागू होते हों।¹	
58— इस [अधिनियम]² के अधीन जांच के प्रयोजनार्थ, जांच के प्रयोजनार्थ, जांच करने वाले अधिकारी या समिति की साक्षियों को उपस्थित होने के लिये बाध्य करने या तथा लेख्यों की प्रस्तुत कराने के वही अधिकार होंगे, जो व्यवहार न्यायालय को कोड आफ सिविल 1908 प्रोसीजर, 1908 के अधीन प्राप्त है।	जांच प्राधिकारी की शक्तियां ऐक्ट सं० 5,
1. उ०प्र० अधिनियम सं० 28, 1971 ई० की धारा 14 द्वारा बढ़ाई गई। 2. उपर्युक्त की धारा 15 द्वारा रखा गया।	
{उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960}	{धारा 59—62}
59— (1) यदि किसी वक्फ का उद्देश्य विद्यमान न रह गया हो या पूरा न किया उद्देश्य	ऐसे वक्फ का
जा सकता हो, तो कोड आफ प्रोसीजर, 1908 की धारा 92 या तत्समय प्रचलित किसी विधि में जिसका	अवधारित करना
किसी बात के होते हुये भी, बोर्ड स्वतः या उस फिरके के जिसका कि वक्फ ही किसी सदस्य रहे,	उद्देश्य विद्यमान न आदि ऐक्ट सं० 5,
1908 द्वारा प्रार्थना पत्र दिये जाने पर, वह उद्देश्य अवधारित कर सकता है, जिसके लिये वक्फ की विधियां, सम्पत्ति या आय अथवा उनका कोई भाग उपयोग में लाया जायेगा :	
प्रतिबंध यह है कि उद्देश्य के इस प्रकार अवधारण के पूर्व बोर्ड वक्फ के मुतवल्ली को और ऐसे अन्य व्यक्तियों का, जो बोर्ड को उसमें स्वत्व रखने वाले प्रतीत हों, नोटिस देगा और ऐसी जांच करेगा जो वह आवश्यक समझे :	
प्रतिबंध यह है कि बोर्ड द्वारा इस प्रकार अवधारित उद्देश्य उस उद्देश्य के, जिसके लिये वक्फ बनाया गया था, सदृश या यथासाध्य सदृश्य होगा।	
(2) मुतवल्ली या वक्फ में स्वत्व रखने वाला कोई अन्य व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन आदेश के दिनांक से 90 दिन के भीतर उस मामले को अधिकरण को अभिदिष्ट कर सकता है।	
60— (1) यदि किसी दशा में वक्फ का उद्देश्य स्पष्टतः परिभाषित न हो, तो बोर्ड स्पष्ट न	वक्फ का उद्देश्य
उस रीति से निदेश करेगा, जिससे वक्फ की निधि, सम्पत्ति या आय अथवा उसका अतिरिक्त अंश उपयोग में लाया जायेगा :	होने पर निदेश

प्रतिबंध यह है कि प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिये बिना ऐसा निदेश न दिया जायेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन बोर्ड के निदेश से प्रभावित कोई व्यक्ति ऐसे निदेश के दिनांक से 90 दिन के भीतर उस मामले को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अधिकरण को अभिदिष्ट कर सकता है, किन्तु उस अभिदेश पर अधिकरण द्वारा निर्णय दिये जाने तक, बोर्ड के निदेश का पालन किया जायेगा ।

61— जब कभी किसी वक्फ के विलेख, या न्यायालय की किसी डिक्री या आज्ञा न्यायाधीश

विलेख आदि में

अथवा वक्फ की प्रबंध योजना में यह व्यवस्था हो कि न्यायाधीश (जज) या कोई अन्य प्राधिकारी को दिये

या अन्य प्राधिकारी

मुतवल्ली को नियुक्त कर सकता है या हटा सकता है अथवा वह प्रबंध योजना को निश्चित अधिकारों का

गये कतिपय प्रयोग

या परिष्कृत कर सकता है अथवा अन्य रूप से वक्फ के अधीक्षण के अधिकारों का प्रयोग कर सकता है, तो उस न्यायाधीश या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य अधिकार, वक्फ के विलेख, डिक्री, आज्ञा या योजना में कोई अन्य बात होने पर भी, बोर्ड द्वारा यथासाध्य वक्फ के विलेख, डिक्री, आज्ञा या योजना जैसी भी दशा हो, में दिये गये निदेशों के अनुसार प्रयोक्तव्य होंगे ।

62— (1) यदि मुतवल्ली पर यह आभार हो कि वह कोई ऐसा कार्य करें, जो मुस्लिम

आभार का निर्वहन

विधि द्वारा धर्मशील, धार्मिक या पूर्व स्वीकृत हो और मुतवल्ली वह कार्य न करें, जो बोर्ड मुतवल्ली को निदेश दे सकता है कि वह बोर्ड को या बोर्ड द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी व्यक्ति को उक्त कार्य करने के लिये आवश्यक धनराशि दे और बोर्ड या इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति उक्त कार्य का संपादन करेगा ।

सुनिश्चित कराने के अधिकार

(2) यदि मुतवल्ली राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी को देय राजस्व, उपकर, स्थानीय कर या करों का भुगतान करने से इंकार करें या भुगतान न करें तो बोर्ड देय धनराशियों का भुगतान वक्फ निधि से कर सकता है और इस प्रकार भुगतान की गयी धनराशि को वक्फ समिति से वसूल सकता है ।

(3) उपधारा (2) के अधीन प्राप्य कोई धनराशि, सम्बद्ध मुतवल्ली को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् बोर्ड द्वारा प्रमाण-पत्र जारी किये जाने पर धारा 83 में व्यवस्थित रीति से वसूल की जा सकती है ।

{उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960}

{धारा

63}

63— (1) जब किसी वक्फ का पर्यवेक्षण या प्रबंध, वाकिफ या किसी सक्षम न्यायालय और

पर्यवेक्षण समितियां

अथवा प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किसी समिति में निहित हो, तो ऐसी समिति, अधिनियम में किसी करने का

उनका अवक्रमण

बात के होते हुये भी, तब तक कार्य करती रहेगी जब तक कि उसका उपधारा (2) के अधीन बोर्ड द्वारा अवक्रमण न कर दिया जायेगा :

बोर्ड का अधिकार

प्रतिबंध यह है कि ऐसी समिति बोर्ड के नियंत्रण में रहेगी और बोर्ड के ऐसे निदेशों का पालन करेगी, जो उस समिति को नियुक्त करने वाले वाकिफ या न्यायालय अथवा प्राधिकारी के किन्ही निदेशों से असंगत न हो ।

(2) अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, बोर्ड पूर्वोक्त प्रकार की ऐसी किसी समिति का अवक्रमण कर सकता है यदि वह, उसकी राय में, जो अभिलिखित की जायगी, समुचित तथा संतोषजनक रूप से कार्य न कर रही हो और ऐसा अवक्रमण किये जाने पर न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी की कोई ऐसी डिक्री या आज्ञा, जिसके अधीन उक्त समिति संघटित की गई हो, उस सीमा तक निष्प्रभाव हो जायेगी, जहां तक कि उसका संबंध उक्त समिति के संघटन से हो ।

(3) उपधारा (2) के अधीन बोर्ड द्वारा दी गई कोई आज्ञा अन्तिम होगी और उस पर किसी विधि न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी :

प्रतिबंध यह है कि उपधारा (2) के अधीन किसी आज्ञा से क्षुब्ध कोई पक्ष, उस आज्ञा के दिनांक से 90 दिन के भीतर मामले को न्याय निर्णय के लिये अधिकरण को अभिदिष्ट कर सकता है ।

(4) यदि बोर्ड उपधारा (2) के अधीन किसी आज्ञा द्वारा समिति का अवक्रमण करें तो वह या तो एक नयी पर्यवेक्षण अथवा प्रबंध समिति नियुक्त कर सकता है या वक्फ का प्रबंध सीधे अपने हाथ में ले सकता है ।

(5) उस दशा में जब बोर्ड ने वक्फ का प्रबंध सीधे अपने हाथ में ले लिया हो या मुतवल्ली अथवा प्रबंध-समिति नियुक्त की हो और बोर्ड या इस प्रकार नियुक्त मुतवल्ली अथवा समिति की वक्फ सम्पत्ति या उससे सम्बद्ध स्वत्व-विलेखों (title deeds) अथवा अन्य विलेखों या अन्य लेख्यों को कब्जे में लेने से रोका जाये, [तो बोर्ड आज्ञा द्वारा मुतवल्ली को वक्फ सम्पत्ति और उसके उससे सम्बद्ध स्वत्व विलेखों या लेख्यों का कब्जे बोर्ड या तदर्थ यथाविधि प्राधिकृत उसके किसी अधिकारी अथवा वक्फ सम्पत्ति के मुतवल्ली के रूप में कार्य करने के लिये नियुक्त व्यक्ति या समिति को देने का निदेश दे सकता है और बोर्ड की आज्ञा उस मुन्सिफ के न्यायालय, या यदि कोई मुन्सिफ न हो तो उस सिविल न्यायाधीश के न्यायालय को, जिसके प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उक्त सम्पत्ति स्थित हो या उक्त मुतवल्ली निवास करता हो, भेजी जायेगी और तदुपरान्त न्यायालय आज्ञा को उसी प्रकार निष्पादित करेगा मानो वह उसके द्वारा किसी वाद में दी गई डिक्री हो।]¹

(6) बोर्ड उपधारा (2) के अधीन किसी सम्पत्ति का अवक्रमण करने के बजाय उसके किसी सदस्य को हटा सकता है, यदि बोर्ड का समाधान हो जाये कि उस सदस्य ने उस हैसियत से अपने पद का घोर दुरुपयोग किया है या जानबूझकर ऐसी रीति से कार्य किया है जो वक्फ के हित के प्रतिकूल है, हटाये जाने की आज्ञा सम्बद्ध सदस्य पर विधिवत् तामील की जायेगी :

प्रतिबंध यह है कि सदस्य को हटाये जाने की कोई आज्ञा तब तक न की जायेगी जब तक कि उसे सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो :

प्रतिबंध यह भी है कि हटाये जाने की आज्ञा के तामील के दिनांक से 30 दिन के भीतर राज्य सरकार को अपील की जा सकेगी और अपील पर राज्य सरकार की आज्ञा अन्तिम होगी और उस पर किसी विधि न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी ।

1. उ०प्र० अधिनियम सं० 28, 1971 ई० की धारा 16 द्वारा रखे गये।

{उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960}

{धारा 64-67}

अध्याय 8

बोर्ड द्वारा या उसके विरुद्ध अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा वक्फों से सम्बद्ध कतिपय या कार्यवाहियां

64— (1) रिलीजस इन्डाउमेन्ट्स ऐक्ट, 1863 की धारा 14 तथा कोड आफ सिविल इन्डाउमेन्ट्स प्रोसीजर, 1908 की धारा 92 में उल्लिखित किसी भी अनुतोष को पाने के लिये वक्फ से सम्बद्ध धारा 14 कोई वाद उन ऐक्टों में से किसी विपरित बात के होते हुये भी, उन ऐक्टों में निर्दिष्ट अनुमति सिविल धारा या सम्मति प्राप्त किये जाने बिना बोर्ड द्वारा संस्थित किया जा सकता है। संस्थित

रिलीजस

ऐक्ट, 1863 की

तथा कोड आफ प्रोसीजर, 1908 की 92 के अधीन वाद करना । ऐक्ट सं० 20, 1863

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अनुतोष को पाने के लिये वक्फ से सम्बद्ध कोई वाद, बोर्ड की लिखित सम्मति के बिना बोर्ड से भिन्न किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा संस्थित नहीं किया जायेगा {और यदि बोर्ड ने ऐसी सम्मति दे दी हो तो उसके बाद उक्त ऐक्टों में अभिदिष्ट अनुमति या सम्मति लेना आवश्यक न होगा।}¹

ऐक्ट सं० 5, 1908

65— बोर्ड द्वारा इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये किन्हीं नियमों के अनुसरण द्वारा में किये गये प्रकट होने वाले किसी कार्य के संबंध में उसके विरुद्ध कोई वाद तब तक संस्थित नहीं किया जायेगा जब तक कि एक लिखित नोटिस, जिसमें वाद कारण, वादी का नाम, वर्णन और निवास स्थान और अनुतोष जिसका वह दावा करता हो, दिया हो, बोर्ड को दिये जाने या उसके कार्यालय में छोड़े जाने के पश्चात् दो मास व्यतीत न हो गये हो और वह वाद पत्र में इस आशय का एक कथन होगा कि उक्त नोटिस इस प्रकार दे दिया या छोड़ दिया गया है ।

बोर्ड के विरुद्ध पक्षों

वाद का नोटिस

66— (1) वक्फ सम्पत्ति में स्वत्व से या मुतवल्ली के अधिकार से सम्बद्ध प्रत्येक वाद आदि	न्यायालय द्वारा वादों
या कार्यवाही में न्यायालय, ऐसा वाद अथवा कार्यवाही संस्थित करने वाले पक्ष के व्यय से बोर्ड को नोटिस जारी करेगा ।	का नोटिस
(2) जब कभी किसी वक्फ सम्पत्ति व्यवहार न्यायालय को डिक्री के निष्पादन में अथवा सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी को देय किसी राजस्व, उपकर, स्थानीय कर या कर की वसूली के निमित्त बिक्री के लिये विज्ञापित की जाये तो न्यायालय, कलेक्टर या अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसकी आज्ञा के अधीन बिक्री विज्ञापित की गई हो, बोर्ड को नोटिस दिया जायेगा ।	
(3) उपधारा (1) के अधीन नोटिस न दिये जाने की दशा में यदि बोर्ड ऐसे वाद या कार्यवाही की जानकारी प्राप्त करने के एक मास के भीतर न्यायालय को तदर्थ प्रार्थना-पत्र दे दे तो वाद या कार्यवाही में दी गई कोई डिक्री अथवा आज्ञा शून्य घोषित कर दी जायेगी ।	
(4) उपधारा (2) के अधीन नोटिस न दिये जाने की दशा में यदि बोर्ड ऐसी बिक्री की जानकारी प्राप्त करने के एक मास के भीतर न्यायालय या अन्य प्राधिकारी को, जिसकी आज्ञा के अधीन बिक्री हुई हो, तदर्थ प्रार्थना-पत्र दे दे तो वह बिक्री शून्य घोषित कर दी जायेगी ।	
67— (1) यदि लैण्ड एक्वीजिशन ऐक्ट, 1894 के अधीन कार्यवाहियों के दौरान में, ऐक्ट,	लैण्ड एक्वीजिशन
पंचनिर्णय (Award) दिये जाने के पूर्व कलेक्टर को यह प्रतीत हो कि कोई सम्पत्ति जो अर्जित कार्यवाही	1894 के अधीन ऐक्ट संख्या 1,
1894 की जा रही है, वक्फ सम्पत्ति है, तो कलेक्टर द्वारा ऐसे अर्जन का एक नोटिस बोर्ड पर तामील किया जायेगा और आगे की कार्यवाही रोक दी जायेगी जिससे कि बोर्ड, ऐसे नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से तीन मास के भीतर किसी भी समय कार्यवाही में एक पक्ष के रूप में उपस्थित हो सके और अपना पक्ष प्रस्तुत कर सके ।	
1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26, 1966 ई0 की धारा 7 द्वारा रखे गये ।	
{उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960}	{धारा 68—71}
(2) यदि बोर्ड को यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई सम्पत्ति जो अर्जित की जा रही है, वक्फ सम्पत्ति है तो वह पंच निर्णय दिये जाने के पूर्व, किसी भी समय कार्यवाही में एक पक्ष के रूप में उपस्थित हो सकता है और अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।	
(3) यदि बोर्ड उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन उपस्थित हो तो उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना, लैण्ड एक्वीजिशन ऐक्ट, 1894 की धारा 31 या धारा 32 के अधीन कोई आज्ञा नहीं दी जायेगी ।	
(4) यदि बोर्ड ऐसी आज्ञा की जानकारी प्राप्त करने के एक मास के भीतर उस प्राधिकारी को, जिसने आज्ञा दी हो, तदर्थ प्रार्थना-पत्र दे दे तो बोर्ड को सुनवाई दिये बिना, लैण्ड एक्वीजिशन ऐक्ट, 1894 की धारा 31 या धारा 32 के अधीन दी गई आज्ञा शून्य घोषित कर दी जायेगी ।	ऐक्ट सं0 1, 1894
68— वक्फ के या किसी वक्फ सम्पत्ति के संबंध में वक्फ से अपरिचित या किसी पत्र दिये	बोर्ड द्वारा प्रार्थना
अन्य व्यक्ति अथवा उसके विरुद्ध किसी वाद या कार्यवाही के एक पक्ष के रूप में उपस्थित हो संबंध	जाने पर वक्फ से
सकता है और अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।	वाद या कार्यवाही में एक पक्ष बनाया
उसे	
जायेगा	
69— वक्फ के मुतवल्ली द्वारा उसके विरुद्ध वक्फ सम्पत्ति में स्वत्व से या मुतवल्ली उनके	मुतवल्लियों द्वारा या
के अधिकारों से सम्बद्ध तथा किसी न्यायालय में विचाराधीन किसी वाद या कार्यवाही में बोर्ड समझौते	विरुद्ध वादों में
की स्वीकृति के बिना समझौता नहीं किया जायेगा ।	पर रोक
{69-क— बोर्ड द्वारा सिविल न्यायालय में किसी ऐसे अनुतोष के लिये, जो धारा लिए	कतिपय अनुतोष के लिए

49—ख या धारा 57—क के अधीन कार्यवाहियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, कोई वाद या अन्य कार्यवाही संस्थित नहीं की जायेगी ।}

वाद आदि पर रोक

अध्याय 9

अधिकरण—उनका संघटन, अधिकार और कृत्य

70— (1) राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, उतने अधिकरण संघटित संघटन

अधिकरणों का

कर सकती है, जितने इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये आवश्यक हों। प्रत्येक अधिकरण का राज्य में ऐसे क्षेत्रों पर क्षेत्राधिकार होगा, जो निर्दिष्ट किये जायें।

(2) अधिकरण में केवल एक व्यक्ति होगा, जो राज्य सरकार का एक ऐसा न्यायिक अधिकारी (Judicial Officer) होगा, जो सिविल जज से न्यून पद का ना हो और जो अधिकरण के रूप में या तो नाम से या सरकारी पदनाम से नियुक्त किया जा सकता है।

71— कोई विवाद, प्रश्न या विषय, जो इस अधिनियम के अधीन अधिकरण को विचार आदि

अधिकरणों को

अभिदिष्ट किया जा सकता हो, उस अधिकरण को अभिदिष्ट किया जायेगा, जिसका उस क्षेत्र पर क्षेत्राधिकार हो, जिसमें ऐसे विवाद, प्रश्न या विषय से सम्बद्ध सम्पत्ति स्थित हो या यदि ऐसी सम्पत्ति एक से अधिक अधिकरणों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में स्थित हो तो उनमें से किसी एक को अभिदिष्ट किया जायेगा और सक्षम युक्त अधिकरण उस विवाद प्रश्न या विषय पर इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निर्णय देगा :

का अभिदेश

1. ७०प्र० अधिनियम सं० 28, 1971 ई० की धारा 17 द्वारा बढ़ायी गयी।

[उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960]

[धारा 72—77]

प्रतिबंध यह है कि किसी वक्फ के संबंध में इस अधिनियम के अधीन कोई भी कार्यवाही केवल इस कारण नहीं रोकी जायेगी, न निलम्बित की जायेगी कि अधिकरण के समक्ष कोई ऐसा विवाद, प्रश्न या विषय विचाराधीन है।

72— (1) इस अधिनियम तथा किन्हीं नियमों के, जो तदर्थ बनाये जाये, उपबंधों के अधीन रहते हुये, अधिकरण उसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो कोड आफ प्रोसीजर, 1908 में 1908 वादों के संबंध में व्यवस्थित है।

अधिकरणों के समक्ष प्रक्रिया ऐक्ट सं० 5,

(2) इंडियन एविडेन्स ऐक्ट, 1872 के उपबंध, अधिकरण द्वारा विवादों के निर्णय पर सभी विषयों में प्रवृत्त समझे जायेंगे।

ऐक्ट सं० 1, 1872

73— (1) जब कोई विवाद अधिकरण को निर्णय करने के लिये अभिदिष्ट किया गया निर्णय

अधिकरणों द्वारा पंच

हो तो वह अपनी कार्यवाहियां शीघ्रता से करेगा और उनके समाप्त होने पर, जितना शीघ्र व्यवहार्य हो, अपने हस्ताक्षर से लिखित रूप में अपना पंच निर्णय देगा।

(2) अधिकरण या तो स्वतः अथवा विवाद के किसी पक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र दिये जाने पर पंच निर्णय में किसी गणित या लिपिक संबंधी अशुद्धि अथवा किसी आकस्मिक चूक या लोप से उत्पन्न भूल को शुद्ध कर सकता है।

(3) पंच निर्णय की एक प्रतिलिपि और जब कभी पंच निर्णय में पूर्वोक्त रीति से शुद्धि की जाये, जो उस आज्ञा की एक प्रतिलिपि, विवाद के प्रत्येक पक्ष को दी जायेगी या यदि कोई पक्ष पंच निर्णय या आज्ञा, जैसी भी दशा हो, के समय अधिकरण के समक्ष उपस्थित न हो तो उसकी एक प्रतिलिपि उस पक्ष के पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेज दी जायेगी।

74— अधिकरण, व्यवहार—न्यायालय समझा जायेगा और उसकी वही अधिकार होंगे, अधिकार

अधिकरणों के

जो ऐसे न्यायालय में कोड आफ सिविल प्रोसीजर, 1908 के अधीन, वाद पर विचार करते समय या डिक्री अथवा आज्ञा का निष्पादन करते समय निहित होते हैं।

ऐक्ट सं० 5, 1908

75— कोई व्यक्ति किसी व्यवहार न्यायालय में किसी ऐसे विवाद प्रश्न या विषय के निर्णय

अधिकरण द्वारा

संबंध में कोई वाद या अन्य कार्यवाही संस्थित नहीं करेगा, जिसका इस अधिनियम के अधीन मामलों में निर्णय के लिये किसी अधिकरण को अभिदिष्ट किया जाना अपेक्षित या अनुज्ञात हो । पर रोक

किये जाने वाले

वाद प्रस्तुत करने

76— अधिकरण का पंच निर्णय अंतिम और निश्चायक तथा संबद्ध पक्षों पर विरुद्ध

पंच निर्णय के

बंधनकारी होगा और वह डिक्ली के समान प्रभावी होगा तथा उसके विरुद्ध किसी विधि सकेगी

अपील नहीं की जा

न्यायालय में न तो आपत्ति की जायेगी और न ही अपील की जायेगी :

प्रतिबंध यह है कि उच्च न्यायालय स्वमति से किसी समय स्वतः या बोर्ड अथवा किसी क्षुब्ध व्यक्ति द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर, किसी वाद के अभिलेख को इस अधिनियम के अधीन किये गये किसी पंच निर्णय की शुद्धता, वैधता या औचित्य के विषय में अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ मंगा सकता है और उसकी जांच कर सकता है और ऐसी आज्ञायें दे सकता है, जो वह उचित समझे ।

77— (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम की धारा 70 से 76 तक के उपबंधों के किया

कठिनाईयों का दूर

कार्यान्वय से संबद्ध किन्हीं कठिनाईयों को दूर करने के प्रयोजनार्थ, सरकारी गजट में प्रकाशित आज्ञा द्वारा निदेश दे सकती है, कि ये उपबंध उस अवधि में, जो निर्दिष्ट की जाये, ऐसे अनुकूलनों (चाहे वे परिष्कार के रूप में हो अथवा परिवर्द्धन या लोप के रूप में) के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे, जो इष्टकर या आवश्यक समझे :

जाना

[उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960]

[धारा 78—79]

प्रतिबंध यह है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से चौबीस मास के बाद ऐसी आज्ञा नहीं दी जायेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन दी गयी आज्ञा पर किसी विधि न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति न की जायेगी कि उक्त उपधारा में उल्लिखित प्रकार की कोई कठिनाई विद्यमान नहीं थी या उसका दूर करना अपेक्षित न था ।

अध्याय 10

प्रकीर्ण

78— (1) राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों नियम बनाने का अधिकार के कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

(2) विशेषतया और पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इन नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है; अर्थात्—

(क) रीति, जिसके अनुसार मामला अधिकरण को अभिदिष्ट किया जायेगा ।

(ख) अधिकरण द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा समयक्रम ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम सरकारी गजट में प्रकाशित किये जायेंगे और जब तक कि बाद का कोई दिनांक निश्चित न किया जाये, उस प्रकाशन के दिनांक से प्रचलित हो जायेंगे ।

(4) सभी नियमों को उनके बनने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष कम से कम चौदह दिन तक रखा जायेगा और वे ऐसे परिष्कारों के अधीन रहेंगे, जो विधान मंडल उस सत्र में करें, जिसमें वे इस प्रकार उसके समक्ष रखे जायेंगे ।

79— (1) बोर्ड, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन रहते हुये अपने कृत्यों के बनाने

बोर्ड को उपविधियां

संपादन तथा इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिये इस अधिनियम से सुसंगत उपविधियां बना सकता है ।

का अधिकार

(2) विशेषतया और पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इन उपविधियों में निम्नलिखित सभी अथवा किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है; अर्थात्—

(क) { * * * }₁

(ख) बोर्ड की बैठकों का समय और स्थान, उनकी प्रक्रिया तथा कार्य संचालन;

(ग) बोर्ड के सचिव तथा कर्मचारियों की अर्हतायें, उपलब्धियाँ और सेवा के निबंधन और शर्तें ;

(घ) निरीक्षण की अनुमति और बोर्ड की कार्यवाहियों या अभिलेखों की प्रतिलिपियाँ दिये जाने के लिये शुल्क और शर्तें ;

(ङ) उप-समिति का संघटन, कृत्य प्रक्रिया और कार्य संचालन ;

(च) वक्फों की रजिस्ट्री के लिये प्रार्थना पत्र देने का प्रपत्र तथा रीति ;

(छ) वक्फ रजिस्टर में दिये जाने वाले ब्यौरे और उसका प्रपत्र ;

(ज) इस अधिनियम के अधीन अंशदान के आरोपण के प्रयोजनों के लिये वक्फों की आय का हिसाब लगाने की रीति ;

1 उ0प्र0 अधिनियम सं0 11, 1974 ई0 की धारा 7 द्वारा निकाला जाये।

{उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960}

{धारा 80-82}

(झ) बोर्ड और प्रत्येक वक्फ के वार्षिक बजट और लेखे तैयार करने के लिये प्रपत्र और रीतियाँ ;

(ञ) किसी या प्रत्येक वक्फों के संबंध में बोर्ड द्वारा अपेक्षित विभिन्न विवरणियों के प्रपत्र तथा उन्हें प्रस्तुत करने की रीति ;

(ट) वक्फ निधि की अभिरक्षा तथा विनियोजन (Investment);

(ठ) बोर्ड के सदस्यों के लिये यांत्रिक भत्ता स्वीकृत करना ;

(ड) बोर्ड के तथा यदि कोई उप समिति हो तो उसके कार्यालय में रखी जाने वाली पुस्तकें तथा लेखे ;

(ढ) वक्फों के लेखे रखने, उनका लेखा परीक्षण करने तथा उन्हें प्रकाशित करने की रीति, लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का प्रपत्र और विषय वस्तु और लेखा परीक्षकों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक की दर ;

(ण) बोर्ड या उपसमिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले प्रार्थना पत्रों पर देय शुल्क ;

(त) वे व्यक्ति, जिनके द्वारा बोर्ड की कोई आज्ञा या निर्णय प्रमाणीकृत किया जा सकें ; और

(थ) कोई अन्य विषय, जो इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा नियत किये जाने के लिये अपेक्षित या अनुमत हो ।

80— (1) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम और उपविधियाँ सरकारी और

नियम उपविधियाँ

गजट में प्रकाशित की जायेगी और तत्पश्चात् वे विधि के समान प्रभावी होंगी ।

सदस्यों तथा अध्यक्षों के नाम विज्ञापित

किये

(2) बोर्ड के सदस्यों तथा अध्यक्षों के नाम सरकारी गजट में प्रकाशित किये जायें ।

जायेंगे।

81— (1) राज्य सरकार, बोर्ड या आयुक्त के अथवा इस अधिनियम के अधीन गये

सदभावना से किये

यथाविधि नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के संबंध में, जो इस अधिनियम के अधीन सदभावना से किया गया हो अथवा किये जाने के लिये अभिप्रेत हो, कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही न की जा सकेगी ।

कार्यों का संरक्षण

(2) आयुक्त, अतिरिक्त वक्फ-आयुक्त, सहायक वक्फ-आयुक्त प्रत्येक लेखा परीक्षक, बोर्ड का प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी तथा प्रत्येक अन्य व्यक्ति, जो इस अधिनियम के द्वारा या तद्धीन बनाये गये नियमों अथवा दी गई आज्ञाओं द्वारा उन पर आरोपित किन्हीं कर्तव्यों का पालन करने के लिये यथाविधि नियुक्त हो, इंडियन पैनल कोड, 1860 की धारा 21 के अर्थ में लोकसेवक (public servant) समझा जायेगा ।

ऐक्ट 45, 1860

82— वक्फों की आय में से उपलब्ध समस्त अतिरिक्त या संचित धनराशि मुस्लिम संचित

अतिरिक्त और

विधि द्वारा पूर्त अथवा धार्मिक उद्देश्यों के रूप में स्वीकृत उद्देश्यों में से ऐसे उद्देश्यों पर व्यय की जायेगी जो बोर्ड द्वारा अवधारित किये जाये। ऐसी धनराशि बोर्ड के अनुमोदन से एक वक्फ द्वारा दूसरे वक्फ को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर ऋण के रूप में दी जा सकती है, जो नियत की जायं।

धनराशि

{उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960}

{धारा 83—85}

83— धारा 34 के अधीन देय अंशदान और इस अधिनियम के अधीन वसूलने योग्य धनराशियाँ

कुर्की द्वारा देय

प्रत्येक धनराशि, बोर्ड द्वारा देनदार व्यक्ति की चल या अचल संपत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा अथवा तदर्थ राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार वक्फ सम्पत्ति का प्रापक (reciever) नियुक्त करके वसूल की जा सकती है।

की वसूली

84— इस अधिनियम के प्रशासन के संबंध में किये गये किसी व्यय का दायित्व

राज्य सरकार पर

राज्य सरकार पर न होगा।

न होगा

85— (1) किसी अन्य अधिनियमित की कोई ऐसी बात, जो इस अधिनियम के व्यावृत्ति

निरसन और

उपबंधों से असंगत हो, ऐसे वक्फों पर प्रवृत्त न होगी, जिन पर वह अधिनियम प्रवृत्त होता है।

(2) समय—समय पर यथासंशोधित यू०पी० मुस्लिम वक्फ्स ऐक्ट, 1936 और हुसेनाबाद 1936

यू०पी० ऐक्ट सं० 13,

इंडाउमेंट ऐक्ट, 1878 निरस्त किये जाते हैं :

{किसी ऐसे वक्फ पर अपनी प्रवृत्ति के संबंध में जिस पर यह अधिनियम लागू होता

ऐक्ट सं० 15, 1878

हो, निम्नलिखित अनियमिततायां भी एतद्वारा निरस्त की जाती हैं :

(1) बंगाल चेरिटेबिल एन्डाउमेंट्स पब्लिक बिल्डिंग्स एण्ड एसचीट्स रेगुलेशन, 1810 ;

ऐक्ट 16, 1810

(2) रिलिजस एन्डाउमेंट्स ऐक्ट, 1863 ;

ऐक्ट 20, 1863

(3) चेरिटेबिल एन्डाउमेंट्स ऐक्ट, 1890 ;

ऐक्ट 6, 1890

(4) चेरिटेबिल एण्ड रिलिजस ट्रस्ट ऐक्ट, 1920 :}

ऐक्ट 14, 1920

प्रतिबंध यह है कि इस निरसन को किसी न्यायालय में विचाराधीन कोई वाद या कार्यवाही के संबंध में अथवा किसी वाद या कार्यवाही में दिये जाने वाले आदेश के विरुद्ध अपील अथवा पुनरीक्षण के प्रार्थना पत्र के संबंध में उन ऐक्टों के प्रवर्तन पर प्रभाव न पड़ेगा और इसके अधीन रहते हुये उन ऐक्टों द्वारा या उनके अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही जब तक कि इस अधिनियम के किसी उपबंध द्वारा स्पष्ट रूप से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके किया गया या की गई समझी जायेगी मानो वह अधिनियम उस दिन प्रचलित था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्यवाही की गई थी।

1. उ०प्र० अधिनियम सं० 28, 1971 ई० की धारा 18 द्वारा बढ़ाया गया।

THE UTTAR PRADESH MUSLIM WAQFS ACT 1960

[U. P. ACT NO. XVI OF 1960]

Amended by

U. P. ACT No. XXV OF
1963

U. P. ACT No. XXVI OF
1966

U. P. ACT No. 3 OF 1970
U. P. ACT No. 28 OF
1971

U. P. ACT No. 18 OF
1972

U. P. ACT No. 11 OF
1974

[Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Council on April 6, 1960 and by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on April 28, 1960]

Received the assent of the President on August 27, 1960 under Article 201 of 'the Constitution of India' and was published in the Uttar Pradesh Gazette Extraordinary dated September 3, 1960.]

AN

ACT

to provide for better governance, administration and supervision of certain classes of waqfs in Uttar Pradesh

WHEREAS it is expedient to provide for better governance, administration and supervision of certain classes of waqfs in Uttar Pradesh.

It is hereby enacted in the Eleventh Year of the Republic of India as follows :--

Preliminary

- | | |
|--|---|
| Short title,
extent and
commencement
Pradesh. | 1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Muslim Waqfs Act, 1960.

(2) It shall extend to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force at once. |
| Application of
waqfs, the Act | 2. (1) Save as herein otherwise specifically stated, this Act shall apply to all whether created before or after the commencement of this Act, any part of the property comprised in which is situate in Uttar Pradesh, and to all the waqfs which at the time of the coming into force of this Act were under the superintendence of the Sunni Central Board or the Shia Central Board constituted under U. P. Muslim Waqfs Act, 1936.

2[(2) This Act shall also apply to the endowments hitherto governed by the <i>Husainabad</i> Endowment Act, 1878, the trusts known as King's side and the Queen's side of Shahnajaf Trust, the Waqfs known as <i>Waqf Abbu Saheb, Rauza Kazman Waqf and Waqf Wazir Begum</i> , Lucknow and any other endowment, trust or waqf hitherto administered by the Trustees appointed under the said <i>Husainabad</i> Endowment Act; and all these endowments, trusts and waqfs shall be deemed to be waqfs for the purpose of this Act : |

----- 1. For S.O.R. see U. P. Gaz, Extra. d. Feb. 24, 1960.

2. Subs. by s. 2 of U. P. Act No. XXV of 1963 and be deemed to have come into force on September 3, 1960.

[The Uttar Pradesh Muslim Waqfs Act, 1960]

[Section 3]

Provided that the State Government shall have the power to make, by notification in the official Gazette, such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, not affecting the substance of the provisions of this Act, as it may deem fit, in its application to the aforesaid endowments, trusts and waqfs.]¹

(3) [* * *]²

Definitions

3. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or Context-

(1) "beneficiary" means a person or object for whose benefit a waqf is created and includes religious, pious or charitable object and any other object of public utility established for the benefit of the Muslim Community or any sect thereof;

(2) "Board" means the Sunni Central Board or the the Shia Central Board constituted under this Act ;

(3) "Commissioner" means a Commissioner of waqfs appointed by the State Government, under section 4 ;

(4) "family" includes--

(i) parents and grand-parents ;

(ii) wife or husband ; and

(iii) persons related through any ancestor, male or female;

[(5) "mutawalli" means any person appointed either verbally or under any deed or instrument by which a Waqf, has been created or by a competent authority to be the mutawalli of a waqf, and includes any *naib-mutawalli*, *khadim*, *mujavir*, *sajjada-nashin*, *amin* or other person appointed by a *mutawalli* to perform the duties of a *mutawalli* and save as otherwise provided in this Act, any person or Committee for the time being managing or administering any waqf property as such ;]

(6) "net income" means the total income less revenue, cess, rates, taxes or surcharge payable to the Government or to any local authority;

(7) "property" includes Government securities and bonds, shares in firms and companies, stocks, debentures and other securities and instruments, and cash and other commodities;

(8) "prescribed" means prescribed by bye-laws or rules made under this Act;

(9) "sub-committee" means a sub-committee appointed for any local area under section 27 ;

(10) "Tribunal" means a Tribunal constituted under section 70 ;

1. Subs. by se 2 of U. P. Act No. XXV of 1963 and be deemed to have come into force on September 3, 1960.

2. Omitted by section 2 of U.P. Act No. 28 of 1971.

3. Substituted by section 3(a) *ibid*.

[The Uttar Pradesh Muslim Waqfs Act, 1960]
6]

[Section 4-

(11) "Waqf" means the permanent dedication or grant of any property for any purpose recognized by the Muslim Law or usage as religious, pious or charitable, and includes *wqfs-alal-aulad* [(to the extent to which the property is dedicated or granted for any such purpose as aforesaid)]¹ and *waqifs* by user, and "waqif" means the person who makes such dedication or grant;

(12) "Waqf" property" includes offerings made at a shrine or tomb or *imambara*; and

(13) "State Government." means the Government of Uttar Pradesh.

CHAPTER I

Survey of Waqfs

Appointment of Commissioner Additional or 4. The State Government may, from time to time, by notification in the official Gazette, appoint a Commissioner of Waqfs and as many Additional of Waqfs and Commissioners of Waqfs or Assistant Commissioners of Waqfs as may be

Commissioners of Waqfs not.	necessary for the purpose of making a survey of all waqf properties in the Assistant State or in specified areas thereof whether the waqfs be subject to this Act or
Survey of waqfs	5. An Additional Commissioner of Waqfs or an Assistant Commissioner of Waqfs shall exercise all the powers and perform all the duties which under this Act have been conferred or enjoined upon the Commissioner. 6. (1) The Commissioner shall apportion the work of survey of waqfs between himself and the Additional and Assistant Commissioners in such manner as he may think proper, and shall generally supervise and control their work. (2) The Commissioner of Waqfs, shall, after making such inquiries as he may consider necessary, ascertain and determine- (a) the number of all waqfs in the area showing the Shia waqfs and Sunni waqfs separately; (b) the nature and objects of each waqf; (c) the gross income of the property comprised in each waqf; (d) the amount of revenue, cesses, rates, taxes and surcharge payable to the Government or the local authority in respect of each waqf property; (e) expenses incurred in the realization of the income and the pay or other remuneration of the <i>mutawalli</i> of each waqf; (f) [* * *]² (g) such other particulars relating to each waqf as may be prescribed: Provided that where there is a dispute as to whether a particular waqf is a Shia waqf or Sunni waqf and there are clear indications in the recitals of the deed of waqf as to the sect to which it pertains, such dispute shall be decided on the basis of such recitals.
[The Uttar Pradesh Muslim Waqfs Act, 1960] 9]	
[Section 7-	
(3) The Commissioner shall while making any inquiry, have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 in respect of the following matters, namely- (a) summoning and examining any witness; (b) requiring the discovery and production of any document; (c) requisitioning any public record from any court or office; (d) issuing commissions for the examination of accounts and witnesses ; (e) making any local inspection or local investigation; and (f) any other matter which may be prescribed by the State Government. (4) The Commissioner, the Additional Commissioner of Waqfs or Assistant Commissioner of Waqfs shall submit his report of enquiry, containing the particulars mentioned in sub-section (2) above, to each of the Boards and the State Government and the State Government shall, as soon as	

possible, notify in the official Gazette the waqfs relating to particular sect, to which, according to such report, the provisions of this Act apply.

- Recovery of survey income of the
7. (1) The total cost of making a survey under this Chapter shall, where the survey is State-wide, be borne by all the mutawallis in proportion to the costs of survey property of the waqfs in the State, and where the survey is confined to a particular area, by the mutawallis of the waqfs situate in that area in proportion to the income of the property of the waqfs in that area.
- (2) Notwithstanding anything contained in the deed or instrument creating any waqf, any mutawalli may pay from the income of the waqf property any sum due from him under sub-section (1).
- (3) Any sum due from a mutawalli under sub-section (1) may, on a certificate issued by the State Government, be recovered in the manner provided in section 83.
8. (1) If any dispute arises whether a particular property is waqf property or not or whether a waqf is a Shia waqf or Sunni waqf, the Board concerned or the mutawalli of the waqf or any person interested therein, may, in accordance with the provisions of this Act, refer the dispute for adjudication to the Tribunal :

Provided that no such dispute shall be entertained by a Tribunal after the expiry of one year from the date of the publication of the list of waqfs under sub-section (4) of section 6.

- (2) The Commissioner, Additional Commissioner of Waqfs and Assistant Commissioner of Waqfs shall not be made a party to any proceeding under sub-section 1).
- U.P. Act XIII survey of 1936 9. (1) The provisions of this chapter shall not apply to the proceedings of any of waqf properties started before the commencement of this Act, and such survey shall be completed in accordance with the provisions of the U. P. Muslim Waqfs Act, 1936.

[The Uttar Pradesh Muslim Waqfs Act, 1960]

[Section 10-11]

- (2) Nothing in this chapter shall affect the finality of the decisions of the Chief State Commissioner of Waqfs or of any State Commissioner of Waqfs or Commissioner of Waqfs in cases in which prior to the commencement of this Act the report of such Commissioner has become final.

CHAPTER II

Establishment of Boards and their functions

- Establishment of Central Boards 10. (1) There shall be established in Uttar Pradesh two separate Boards to be called the "Sunni Central Board" and the "Shia Central Board" of Waqfs Each Board shall be a body corporate and shall have perpetual succession and a common seal and shall by its said name sue or be sued :

U.P. act XIII Provided that the Boards which were constituted under the U. P. of 1936 Muslim Waqfs Act, 1936, and were functioning at the time of the commencement of this Act shall be deemed to have been constituted under U.P. act XIII the provisions of this Act and shall continue to function till the expiry of their of 1936 term under the U. P. Muslim Waqfs Act, 1936.

- (2) Anything required or permitted by this Act to be done by the Board shall in case of Sunni waqfs be done by the Sunni Central Board and in case of Shia waqfs by the Shia Central Board:

Provided that the control and superintendence of the Shia Board over the [waqfs, endowments, and trusts referred to in sub-section (2) of section 2]¹ shall be subject to directions as may be Issued by the State Government from time to time.

Constitution of 11. [(1)]² The Sunni Central Board shall consist of the following Sunni Muslims,
Sunni Central elected [* * *]⁵ or [co-opted or nominated as hereinafter indicated]³ :- Board
[(i) six members, of whom at least one shall be a member of the State
Legislative Council, to be elected from amongst themselves by Sunni
members of the State Legislature ;]⁴

[(ii) two Sunni Advocates enrolled with the Uttar Pradesh State Bar Council, to be elected by Sunni members of the High Court Bar Association, Allahabad and Avadh Bar Association, Lucknow ;]⁶

[(iii) one member from amongst the persons who in the opinion of the State Government are recognized scholars of Islamic theology, to be nominated by the State Government;]⁷

1.Subs. by section 4 of U. P. Act no. XXV of 1963 and be deemed to have Come into effect on September 3. 1960.

2.Section 11 re-numbered as section 11(i) by section 2(i) of U. P. Act No. 3 of 1970.

3.Subs. by s.2 (1) (i) of U. P. Act no. 3 of 1970.

4.Subs. by s. 2 (a) of U. P. Act no. 18 of 1972.

5.Omit. by s.2 (a) of U. P. Act no. 11 of 1974.

6.Subs. by s.2 (b) of U. P. Act no. 11 of 1974.

7.Substitute by section 2 of U.P. Act No. 23 of 1995

[The Uttar Pradesh Muslim Waqfs Act, 1960]
13]

[Section 12-

[(iv) two members, one of whom shall have knowledge or practical experience in respect of finance and the other in respect of administration, to be nominated by the State Government;]¹

(v) one member to be co-opted by the above [eleven]² members from amongst mutawallis of waqfs to which this Act applies having each an annual income of not less than [rupees three thousand]³;

(vi) the President, if he is not one of the above [twelve]⁴ members.

[(2) The election and co-option under sub-section (1) shall be held and made within such time and in such manner as the State Government may by general or special order direct, and any question or dispute relating to any such election or co-option, shall be referred to, the State Government whose decision shall be final.]⁵

Constitution of [12. (1)]⁶ The Shia Central Board shall consist of the following Shia Muslims
elected Shia Central [* * *]⁷ or co-opted [or nominated or ex officio]⁸ as hereinafter
indicated : Board

[(i) all Shia members of the State Legislature ;]⁹

(ii) one member to be nominated by the State Government;]¹⁰

(iii) one member to be elected by the Board of trustees of the Shia College, Lucknow from amongst its members;

[(iv) three members, one of whom shall be a mutawalli of a waqf to which this Act applies having an annual income of not less than [rupees three thousand]¹², one shall have knowledge or practical experience in respect of finance and administration, and the third shall

be an Alim, to be co-opted by [the members referred to in the foregoing clauses]¹³ ;]¹¹

(v) the President, if he is not one of [the members referred to in the foregoing clauses ;]¹⁴

[(2) The election and co-option under sub-section (1) shall be held and made within such time and in such manner as the State Government may, by general or special order direct, and any question or dispute relating to any such election or co-option shall be referred to the State Government whose decision shall be final.]¹⁵

1. Clauses IV and V subs. by s. 2 (1) (ii) of U. P. Act no. 3 of 1970.
2. Subs. by section 2 (c) of U. P. Act no. 18 of 1972.
3. Subs. by section 5 of U. P. Act no. 28 of 1971.
4. Subs. by section 2 (d) of U. P. Act no. 18 of 1972.
5. Subs. by section 2(c) of U.P. Act no.11 of 1974.
6. Section 12 re-numbered as sub-section (i) thereof by s.3 (l) of U.P. Act no. 3 of 1970.
7. Omit by B. 3 (a) of U. P. Act no. 11 of 1974.
8. Ins. by section 3 (i) (a) of U. P. Act no. 18 of 1972.
9. Subs. by section 3 (i) (b) ibid.
- 10.Subs. by section 3 (1) (i) of U. P. Act no. 3 of 1970.
- 11.Section 3(1)(ii) ibid.
- 12.Subs. by s. 6. of U. P. Act no. 28 of 1971.
- 13.Subs. by s. 3 (i) (c) of U. P. Act no. 18 of 1972.
- 14.Subs. by s. 3 (b) of U. P. Act no. 11 of 1974.
- 15.Ins. by s. 3 (c) ibid.

[The Uttar Pradesh Muslim Waqfs Act, 1960]
14]

[Section 13-

[Nomination 13. ¹[If any of the bodies referred to in clause (iii) of sub-section (1) of section in certain cases ¹²]⁸ [does not exist or is unable or fails to return the requisite number of members]³ [within such time as may be specified by the State Government in that behalf]² the deficiency shall be made good by nomination of a [Shia Muslim]⁹ by the State Government.]]¹

[Notification constitution 13-A As soon as may be after the election, nomination and co-option of the of members and the election of the President has been completed, the State of the Board Government shall, by notification in the Official Gazette notify that the Board has been duly.

Fresh elections certain circumstances 13-B Whereas a result of any order of any court or for any other reason the State in Government is unable to issue a notification of due constitution of the Board and more than five years have elapsed from the date of election of the President, the constitution of the Board shall not be notified and the election, nomination and co-option of the members and the President shall be made afresh to constitute an new Board.]¹⁰

Term of the Board 14. [(1)]⁴ Subject to the provisions of section 23 the term of the members of the Board shall be five years [from the date of the notification of its constitution;]⁵

Provided that the State Government may, by notification in the official Gazette, extend the said period by a further period not exceeding one year.

[Provided further that except as provided in sub-section (2), the outgoing members of the Board (including its President) shall, notwithstanding the expiration of their term, continue to hold office

as members and President respectively until the due constitution of the new Board is notified by the State Government in the Official Gazette.]]⁶

[(2) Whereas a result of any interim order of any Court, or for any other reason, the State Government is unable to issue a notification of due constitution of the new Board or after such notification is issued the new Board is unable to function, the State Government may, in the case of any interim order of a Court, for the duration of such order, and in any other case, for a period not exceeding [two years or upto the constitution of the Board, whichever is earlier]]¹¹, appoint a Sunni Muslim Officer or as the case may be, a Shia Muslim Officer, not below the rank of a Joint Secretary to the State Government, as Controller of the Board, and such Controller shall perform, exercise and discharge the functions, powers and duties of the Board as well as of its President and Members.

(3) On the appointment of a Controller under sub-section (2), the person appointed as Controller under sub-section (2) as it stood before the commencement of the Uttar Pradesh muslim Waqfs (Amendment) Act, 1994; shall cease to be such Controller.]]⁷

-
1. Subs, by 3 (1) (ii) of U. P. Act no. 3 of 1970.
 2. Subs. by s. 4 of U. P. Act no. 11 of 1974.
 3. Subs. by section 7 of U.P. Act no. 28 of 1971.
 4. S. 14 renumbered as Sub. s. (1) thereof by section 5 of U. P. Act no. 3 of 1970.
 5. Subs, by s. 5 (a) (i) ibid.
 6. Ins. and be deemed to have been inserted w. e. f. December 5. 1969 by s. 5 (a) (ii) ibid. 7. Substituted by section 2 of U. P. Act No. 21 of 1994.
 8. Substituted by section 3(a) of U. P. Act No. 23 of 1995.
 9. Section 3(b) ibid.
 10. Insertion by section 4 ibid.
 11. Subs. by section 5 ibid.

[The Uttar Pradesh Muslim Waqfs Act, 1960]
19]

[Section 15-

Election, etc. 15. (1) Immediately after [the election, co-option, or nomination, as the case may be, of the of all the members other than the President]]¹ and subsequently whenever it becomes necessary by reason of an existing or anticipated vacancy, or otherwise, to appoint a President, the Secretary of the Board shall convene [a meeting of such members]]² to elect a President. The members may elect either a person from among themselves or any other person as President :

Provided that a mutawalli of a waqf to which this Act applies or a Government Treasurer or a whole-time servant of the Government or of any waqf administration shall not be elected as President.

(2) The President shall be honorary [* * *]]³

Conduct of 16. (1) The office of the Board shall be at Lucknow and the Board shall meet for the Business transaction of business at such times and place as may be prescribed.

(2) The quorum for a meeting of the Board shall be one-half of the total number of members of the Board :

Provided that where a meeting is adjourned for want of quorum, the quorum required for the first meeting after such adjournment shall be one-third of the total number of members of the Board, and where the meeting is again adjourned for want of quorum, no quorum shall be required for the second and subsequent adjourned meetings.

(3) The decision of the Board shall be by a majority of its members present and voting. In case of equal division the President shall have a casting vote.

Appointment, 17. The Board shall appoint a person to be its whole-time Secretary possessing etc. of such qualifications and on such pay, allowances and terms and other Secretary conditions of service as may be prescribed :

Provided that the Secretary shall be a Muslim belonging to the Sunni sect in the case of Sunni Central Board and to the Shia sect in the case of Shia Central Board.

Staff of central 18. The Board may appoint such staff and officers as may be necessary for the Board purpose of carrying out the provisions of this Act on such salaries, allowances and other conditions of service as may be prescribed.

Function of the 19. (1) The general superintendence of all waqfs to which this Act applies shall vest in Board the Board. The Board shall do all things reasonable or necessary to ensure that the waqfs [***]⁴ under its superintendence are properly maintained, controlled and administered and the income thereof is duly appropriated to the purposes for which they were founded or for which they exist.

(2) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1), the powers and duties of the Board shall be :-

1.Subs. by s. 3 of U. P. Act no. 26 of 1966.

2.Subs. by s. 5 of U. P. Act no. 11 of 1974.

3.Omit. by s. 6 of U. P. Act no. 3 of 1970.

4.Del. by s, 5 (1) of U. P. Act no. 25 of 1963 and be deemed to have come into force on September 3, 1960.

[The Uttar Pradesh Muslim Waqfs Act, 1960]
21]

[Section 20-

(a) to maintain a complete and authentic record containing information relating to the origin, income, objects and beneficiaries of every waqf in each district ;

(b) to prepare and settle its own budget ;

(c) to settle and pass the budgets submitted by the mutawallis to the Board;

Provided further that any objection made by any person interested in the waqf property, against, such lease, mortgage, transfer or conversion' within such time and manner as may be prescribed, shall be considered and decided before such lease, mortgage, transfer or conversion is completed ;

(o) to remove a mutawalli, or appoint a mutawalli and to put the mutawalli so appointed in possession of the waqf property under the provisions of this Act :

Provided that in the appointment of mutawallis or in making any other management of waqf property, the Board shall be guided, as far as possible, by the directions of the waqif, if any;

(p) to issue directions under the provisions of this Act to, mutawalli or a committee of management or committee of supervision; and

(q) to institute and defend suits and proceedings in a court of law relating to waqfs.

Delegation of Board powers of the as it delegation.	20.	Subject to such conditions and limitations, as may be specified, the may delegate to the President or to the Secretary or any other servant Board or to any member, such of its powers and duties under this Act, may deem necessary, and may like wise withdraw any such
Disqualifications a and removal of members	21.	(1) A person shall be disqualified for being appointed, or for continuing as, President or member of the Board if he- (a) is a non-Muslim ; (b) is less than twenty-one years of age ; (c) is a person of unsound mind; (d) is an undischarged insolvent; (e) has been convicted of an offence involving moral turpitude; or (f) has, on any previous occasion, been removed from the office of a member or has been removed by order of a competent court from any position of trust either for mismanagement or corruption. (2) [The Board may remove its President or any of its members, if he]¹ - (a) is or becomes subject to any disqualifications specified in sub-section (1) ; or 1.Substituted by section 6(a)(i) of U.P. Act. No. 23 of 1995.
		[The Uttar Pradesh Muslim Waqfs Act, 1960] [Section 22-25] (b) refuses to act or is incapable of acting or acts [whether as a President, emmber or otherwise]² in a manner which the Board, after hearing any explanation that he may offer, considers to be prejudicial to the interests of the waqfs ; or (c) absents himself from five consecutive meetings of the Board, without permission of the Board or without sufficient excuse.
Resignation of writing president and Board, he shall members	22.	The President or any member of the Board may resign his office by to the Board, and on such resignation being accepted by the be deemed to have vacated his office.
Cessation of the Members ship representative to	22-A	A person who is a member of the Board in his capacity as a member of State Legislature or as an Advocate or as a Mutawalli or as a of any other body shall cease to be member of the Board on his ceasing hold that capacity.] ¹
[Filling of vacancy shall be	23.	On the office of the President or any member becoming vacant by his removal, resignation, death or otherwise, a new President or member elected, nominated or co-opted, as the case may be, in his place, in the manner provided in this Act, and such President or member shall hold office so long as the President or the member whose place he fills would have been entitled to hold office, if such vacancy had not occurred.] ⁴
Vacancies reason amongst any members or defect in constituti on not to invalid-date acts or	24.	No act or proceeding of the Board shall be deemed to be invalid by only of the existence of [any vacancy in the office of the President or members] ⁵ or any defect in the constitution thereof.

proceedin
gs of
the Board

Opinion of the Board or 25. The mutewalli of any waqf may apply by petition to the Board for its opinion, advice or direction on any question affecting the management administration of the property of such waqf and the Board shall give its opinion, advice, or direction thereon :

Provided that the Board shall not be bound to give such opinion, advice or direction on any question which is not in its opinion a fit question for summary disposal, or where the Board for any other reason to be recorded in writing, considers it inappropriate to do so.

1.Ins. by S. 6 of U. P. Act No. 11 of 1974.

2.Substituted by section 6(a)(ii) of U.P. Act No. 23 of 1995. 3.Added by section 6(b) ibid.

4.Subs. by section 7 ibid.

5.Subs. by section 8 ibid.

[The Uttar Pradesh Muslim Waqfs Act, 1960]
29]

[Section 26-

Inspection of 26. [(1)]¹ The Board may allow inspection of and issue copies of its proceedings or records and other records in its custody on payment of such fees and subject to such issue of copies conditions as may be prescribed. All copies issued under this section shall be certified by the Secretary of the Board [or such other officer of the Board as the Secretary may by general or special order authorize in that behalf]² in the manner provided in section 76 of the Indian Evidence Act, 1872 [and shall be

Act I of 1872 received as prima facie evidence of the proceeding or record and be admitted as evidence of the matter or transaction therein recorded in every case where, and to the same extent, as, the original proceeding or record would, if produced, have been admissible to prove the matter or transaction.]³

[(2) No member, officer or servant of the Board shall, in any legal proceeding to which the Board is not a party, be required to produce any register or document, the contents of which can be proved under sub-section (1) by a certified copy, or to appear as a witness to prove the matter or transaction recorded therein, unless the court, for reasons to be recorded, considers it necessary to make such an order.]⁴

Sub-27. Committees (1) The Board may, whenever it considers necessary, establish in any local area a sub-committee for the supervision of any wsqf, or waqfs generally in that area.

(2) The constitution, functions and duties of the sub-committee shall be such [as may from time to time be determined]⁵ by the Board.

CHAPTER III

Registration of Waqfs

Savings 28. A waqf registered before the commencement of this Act under the U.P. U.P. Act XIII Muslim Waqfs Act, 1936, shall be deemed to have been registered under the of 1936 provisions of this Act.

Registration 29. (1) Every other waqf, whether subject to this Act or not and whether created before or after the commencement of this Act, shall be registered at the office of the Board of the sect to which the waqf belongs.

(2) Application for registration shall be made by the mutawalli within three months of his entering into possession of the waqf property :

Provided that such applications may be made by the waqf or his descendants or a beneficiary of the waqf or any Muslim belonging to the sect to which the waqf belongs.

-
1. Ins. section 4 of UP Act no 26 of 1966
 - 2- Section 26 renumbered as section 26(1) by s. 9 (1) of U. P. Act No. 28 of 1971.
 3. Ins. by section 9(1) *ibid*.
 - 4- Ins. by *ibid*.
 5. Ins. by section 9(2) *ibid*.

[The Uttar Pradesh Muslim Waqfs Act, 1960]
30]

[Section

- (3) The application for registration shall be made in such form and manner and at such place as the Board may prescribe and shall contain the following particulars, as far as possible-

(a) a description of the waqf properties sufficient for the identification thereof ;

(b) the gross annual income from such properties ;

(c) the amount of land revenue, cesses, and rates and taxes annually payable in respect of the waqf properties;

(d) an estimate of the expenses annually incurred in the realization of the income of the waqf properties ;

(e) the amount set apart under the waqf for-

(i) the salary of the mutawalli and allowances to individuals,

(ii) purely religious purposes ;

(iii) charitable purposes; and

(iv) any other purpose; and

(f) any other particulars prescribed by the Board.

- (4) Every such application [shall be accompanied by a copy of the Waqf Deed or, if no such deed has been executed or a copy thereof cannot be obtained, shall contain full particulars, as far as they are known to the applicant, of the origin, nature and objects of the waqf.

- (5) Every application made under sub-section (2) shall be signed and verified by the applicant in the manner provided in the Code of Civil Procedure, 1908 for the signing and verification of pleadings.

- (6) The Board may require the applicant to supply such other particulars or information as it may consider necessary.

- (7) On receipt of an application for registration, the Board may, before the registration of the waqf, make such inquiries as it thinks fit in respect of the genuineness and validity of the application and the correctness of any particular therein, and, when the application is made by any person other than the person administering the waqf property, the Board shall, before registering the waqf give notice of the application to the person administering the waqf property and shall, after affording him a reasonable opportunity of being heard, pass such orders as it may deem fit.

Act V of 1908

- (8) Any person aggrieved by an order of the Board under sub-section (7) may, by application within 90 days from the date of that order, refer the dispute to the Tribunal which shall give its decision thereon.

Register of 30. The Board shall maintain a register of waqfs which shall contain in respect of waqfs each waqf, copies of the waqf deeds, when available, and the following particulars, namely:

(a) the class of the waqf;

(b) the name of the mutawalli;

[The Uttar Pradesh Muslim Waqfs Act, 1960]
34]

[Section 31-

(c) the rule of succession to the office of mutawalli under the waqf deed or by custom or by usage;

(d) particulars of all waqf properties and all title deeds and documents relating thereto;

(e) particulars of the scheme of administration and the scheme of expenditure at the time of registration; and

(f) such other particulars as may be prescribed.

Power to cause 31. The Board may direct a mutawalli to apply for the registration of a waqf, or to registration of supply any information regarding a waqf or may itself collect information and waqf and to cause the waqf to be registered or may at any time amend the register of amend register waqfs.

Notification of 32. (1) In the case of any change in the management of a registered waqf due to the change in death or retirement or removal of the mutawalli, the incoming mutawalli shall registered forthwith, and any other person may, notify the change to the Board. waqfs

section (2) In the case of any other change in any of the particulars mentioned in 29, the mutawalli shall, within three months from the date of occurrence of the change, notify such change to the Board.

Decision if a 33. (1) The Board may collect or cause to be collected information regarding any property is property which it has reason to believe to be a waqf property and if any waqf property question arises whether a particular property is waqf property or not, it may, property after making such inquiry as it may deem fit, decide the question.

- (2) Any person aggrieved by the decision of the Board under sub-section (1) may, by application within 90 days from the date of such decision, refer the dispute to the Tribunal which shall give its decision thereon.

CHAPTER IV

Finance of the Board

Annual 34. (1) The mutawalli of every waqf to which this Act applies shall pay annually to contributions the Board such contribution, not exceeding six percent of the net annual by waqfs income of such of its property as is situate in Uttar Pradesh, as the Board may, subject to the sanction of the State Government, determine from time to time:

Provided that in the case of a waqf part of the income whereof is applied for the benefit of the waqf or his descendants or family or any other private purpose, the aforesaid contribution shall not be levied on such part of the income.

- (2) The contribution under this section shall be payable with effect from the date

on which this Act comes into force, and the contribution due from any waqf for any period preceding the commencement of this Act shall be deemed to be a contribution levied Under this Act and be recoverable in the manner provided ill this Act or the rules framed thereunder.

[The Uttar Pradesh Muslim Waqfs Act, 1960]
37]

[Section 35-

- (3) The Board may, in the case of any class of waqfs, reduce or remit; from time to time, such contribution for a specified period; provided that it shall be within the power of the Board to re-impose the contribution reduced or remitted either under this Act or under the U. P. Muslim Waqfs Act, 1936.
- (4) The contribution payable under sub-section (1) shall, subject to the prior payment of any dues to the State Government or any local authority or of any other statutory charge on the waqf property or the income thereof, be a first charge on the income of the waqf and shall, on a certificate issued by the Board after giving the mutawalli of the waqf concerned an opportunity of being heard, be recoverable in the manner provided in section 83.
- (5) If a mutawalli realises the income of the waqf and refuses or neglects to pay such contribution, he shall also be personally liable for such contribution and it may be realized from his person or property in the manner provided in sub-section (4).
- (6) The mutawalli of a waqf may realize the contributions payable by him under sub-section (1) from persons entitled to receive any pecuniary or other material benefits from the waqf, but the sum realizable from anyone of such persons shall bear to the total contribution the same proportion as the value of the benefits receivable by such person bears to the entire net annual income of these waqf.

U.P. Act I of 35. [(1) Where any waqf is entitled to be paid any annuity on account of rehabilitation grant under section 99 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, any contribution payable by such waqf under section 34 of the extent of six percent of the aggregate of the said annuity and of the interest payable to the waqf on Zamindari Abolition Compensation Bond Stock Certificates issued under the rules made under the said Act, may be paid by the State Government out of such annuity on production by the Secretary of the Board of a certificate in the prescribed form]:

Provided, however, that the amount paid shall not exceed six percent of the annuity.

- (2) Any sum paid by the State Government under and in accordance with sub-section (1) shall be full discharge of the State Government to the extent of the amount so paid.
36. For the purpose of giving effect to the provisions of this Act, the Board may, with the previous sanction of the State Government, borrow such sums of money and on such terms and conditions as the State Government may determine.
37. (1) All moneys received by the Board under section 34 and all other moneys realised by the Board under this Act shall form a fund to be called the “Uttar Pradesh Shia Waqf Fund” or the “Uttar Pradesh Sunni Waqf Fund” as the case may be.
- (2) The Waqf Fund shall, subject to the control of the Board, be applied to-

1. Subs. by section 5 of U. P. Act no. 26 of 1966.

[The Uttar Pradesh Muslim Waqfs Act, 1960]
41]

[Section 38-

(a) repayment of any loan incurred under section 36 and payment of interest thereon;

(b) payment of the cost of audit of the Waqf Fund;

(c) payment of the salary and allowances of the Secretary and staff of the Board and the salary and allowances of the staff of a sub-committee, if found necessary, by the Board;

(d) payment of travelling allowance to the President, members, Secretary and staff of the Board and of a sub-committee, if any; and

(e) payment of all expenses incurred by the Board and 8 sub-committee, if any, in the performance of the duties imposed, and in exercise of the powers conferred by or under this Act.

(3) If any surplus or accumulation out of the income of the Board remains after meeting the expenditure referred to in sub-section (2) the Board may use such surplus accumulation or any portion thereof, for the preservation and protection of waqf properties or for such religious, pious or charitable purposes as the Board may deem fit.

Budget of the 38. The Board shall in every year prepare, in such form and at such time, as may Board be prescribed, a budget for the next year, showing the estimated receipts and expenditure during that year, and forward a copy thereof to the State Government.

Accounts of 39. (1) The Board shall cause to be maintained such books of account in such form the Board and manner as may be prescribed.

(2) The accounts of the Board shall be audited and examined annually by the chartered accountants appointed by the Board.

(3) The report of the auditors shall, inter alia, specify all cases of irregular, illegal or improper expenditure or of failure to recover moneys or other property or of loss; and the report shall also contain the name of any person who, in the opinion of the auditors, is responsible, by his neglect or misconduct, for such expenditure or failure or loss.

Government to 40. The auditors appointed under section 39 shall submit their report to State pass orders on Government who shall examine the report and may call for the explanation of audit report any person in regard to any matter mentioned therein, and shall pass such orders on the report as it thinks fit.

Recovery of 41. Every sum certified in the audit report to be due from any person, unless such sums due certificate is modified or cancelled by an order of the State Government made

under section 40 and every sum due on such modified certificate, shall be paid by such person within a reasonable time to be fixed by the Board; and if payment is not made in that time, the sum payable may, after affording the person concerned an opportunity of being heard, be recovered in the manner provided in section 83.

[The Uttar Pradesh Muslim Waqfs Act, 1960]

CHAPTER V

Special powers of the State Government

General 42. The State Government-
supervision by

the State (i) shall exercise general supervision over the Board and may call
for

Government any document, record or information from the Board; and

(ii) may further require the accounts of the Board to be audited by
an auditor to be appointed by it.

Power of the 43. The State Government may, from time to time, give to the Board such general State
or special directions as the State Government thinks fit and in the Government to
performance of its functions the Board shall comply with such direction.

issue
direc
tions

Supersession 44. In case of gross mismanagement and persistent dereliction of duty by the of the
Board Board or when, in the opinion of the State Government, the Board has so
flagrantly abused or exceeded the powers vested in it by law that its
continuance is likely to prove detrimental to the public interest, the State
Government may, by notification in the official Gazette, supersede the Board
after affording it an opportunity to explain the charges against it and after taking
into consideration the explanation, if any, submitted by it.

State 45. (1) Where the Board is superseded under the provisions of section 44, the State
Government to Government shall appoint an Administrator, who shall be a Sunni in the case
take over of the Sunni Central Board and a Shia in the case of the Shia Central Board, to
functions of carry out the functions of the Board.

the Board

Board-

(2) Upon the publication of notification under section 44 superseding take

(a) all the members of the Board shall, as from the date of
suppression vacate their offices; and

(b) all the power and duties which may, under the provisions of this
Act, be exercisable or performable by or on behalf of the Board, shall,
during the period of suppression, be exercised and performed by the
Administrator and such administrator shall be deemed to be the Board
for all purposes.

Formation of 46. (1) Where the Board is superseded under the provisions of section 44, a new and
transfer of Board shall be constituted with one year of the date of suppression, in administration
accordance with the provisions of this Act.

of waqf to the
new Board

(2) As soon as a new Board is constituted under sub-section (1), the State
Government shall, by notification in the official Gazette, transfer the
administration of the waqfs to such Board and there-upon the
Administrator appointed the State Government shall cease to exercise the
functions of the Board from the date of the publication of such
notification.

[The Uttar Pradesh Muslim Waqfs Act, 1960]
49]

[Section 47-

Administration 47. (1) The State Government shall settle the scheme of administration regarding
the of properties lwaqfs, endowments and trusts referred to in sub-section (2) of
section 2.]¹ of the

Husainabad
amend

(2) The State Government may in consultation with the Shia Central Board

and affiliated or modify the scheme of administration settled under sub-section (1) and State Waqfs Government may issue directions from time to time to remove any doubt or Act 15 of 1878 difficulty in the administration of these [waqfs, endowments and trust.]²

CHAPTER VI

Mutawallis and Waqfs Accounts

[Emergency 48. Without prejudice to the generality of the powers conferred by clause (0) of powers of sub-section (2) of section 19, the Board may, where there is a vacancy in the board office of the Mutawalli of a waqf-

when

office of

Mutawalli of

such waqf vacant

(a) appoint any person to act as Mutawalli for such period and on conditions as it thinks fit ; or

(b) by notification in the official Gazette assume direct management of the waqf for [such period not exceeding five years as may be specified in the notification;]⁴

Provided that in the case of a waqf created by a deed, the Board may act under this section only if there is no one competent to be appointed as Mutawalli under the terms of such deed.]³

Duties of 49. It shall be the duty of every mutawalli-
Mutawallis

Act,

(a) to carry out all directions, consistent with the provisions of this issued to him by the Board or, with the previous approval of the Board, by the sub-committee constituted under section 27 ;

(b) to furnish such returns and supply such information or particulars as may from time to time be required by the Board or the sub-committee;

(c) to allow inspection of waqf property, accounts or records or deeds and documents relating thereto;

(d) to discharge all public dues; and

(e) to do any other act which he is lawfully required to do by or under this Act.

1 - Subs. by section 6 (i) of U. P. Act no, 25 of 1963 and be deemed to have come into effect on September 3, 1960.

2 - Subs. by section 6 (ii) ibid,

3- Subs. by section 6 of U. P. Act no. 26 of 1966.

4 - Subs. by section 11 of U.P. Act no. 28 of 1971.

[The Uttar Pradesh Muslim Waqfs Act, 1960]
49B]

[Section 49A-

[Transfer of
immovable
property of
waqf

49-A Notwithstanding anything contained in the deed or instrument, if any, by which the waqf has been created, no transfer by way of---

(i) sale, gift, mortgage or exchange; or

(ii) lease for a period exceeding three years in the case of agricultural land, or for a period exceeding one year in the case of non-agricultural and or building of any immovable property of the waqf shall be valid without the previous sanction of the Board.

Recovery of
waqf property

49-B (1) If the Board is satisfied after making an inquiry in such manner as may be prescribed that any immovable property entered as property of a waqf in the

transferred in register of waqfs maintained under section 30, has been transferred without
 contravention the previous sanction of the Board in contravention of the provisions of of section
 section 49-A, it may send a requisition to the Collector within whose 49-A
 jurisdiction the property is situate to obtain and deliver possession of the property
 to it.

(2) On receipt of a requisition under sub-section (1), the Collector shall pass an order directing the person in possession of the property to deliver the property to the Board Within a period of thirty days from the date of the service of the order.

(3) Every order passed under sub-section (2) shall be served-

(a) by giving or tendering it or by sending it by post to the person for whom it is intended; or

(b) if such person cannot be found, by affixing it on some conspicuous part of his last known place of "bode or business, or by giving or tendering it to some adult male member or servant of his family or by causing it to be affixed on some conspicuous Part of the property to which it relates:

Provided that where the person on whom the order is to be served is a minor, service upon his guardian or upon any adult member or servant of his family shall be deemed to be service upon the minor.

(4) Any person aggrieved by an order of the Collector under sub- section (2) may, within a period of thirty days from the date of the service of the order, prefer an appeal to the Court of the District Judge within whose jurisdiction the property is situate.

(5) The District Judge may either dispose of the appeal himself or may transfer it to the Court of any Additional District Judge or Civil Judge under his administrative control and may also withdraw any such appeal and either dispose of the same or transfer it to any other Court of Additional District Judge or Civil Judge under his administrative control, and in every case the decision of the court shall be final.

(6) Where an order passed under sub-section (2) has not been complied with and the time for appealing against such order has expired without any appeal having been preferred or the appeal, if any, preferred within that time has

been dismissed, the Collector shall obtain possession of the property in respect of which the order has been made, using such force as may be necessary, for the purpose, and then deliver it to the Board.

(7) In exercising his functions under this section the Collector shall be guided by such rules as may be made in that behalf by the State Government.]¹

1- Section 49-A and 49-B ins. by B. 12 of U. P. Act no. 28 of 1971.

[The Uttar Pradesh Muslim Waqfs Act, 1960]

[Section 50-

53]

Budget and 50. In particular and without prejudice to the generality of the duties prescribed in
 Accounts of section 49, every *mulawalli* of a waqf shall -
 Waqfs to be

submitted by
 showing

(a) prepare, in every year, a budget for the next financial year

Mutawallis in such form as may be prescribed the estimated receipts and expenditure during that year, and submit it before the 31st March of the year to the Board for approval;

(b) submit to the Board before the 1st day of May in every year, a full and true statement of accounts, in such form and containing such particulars as may be prescribed, and verified in the manner prescribed by the Code of Civil Procedure, 1908 for verification of pleadings, of all moneys received and expended by the mutawalli for behalf of the waqfs during the period of twelve months ending on the 31st day of March preceding the submission of such statement or during that portion of the said period during which the provisions of this Act have been applicable to the waqf :

Provided that in respect of a *waqf-alal-aulad* the statement of accounts required to be submitted by the *mutawalli* shall relate only to such portion of the income as is specified or set apart for religious or charitable purposes.

- Audit of 51. Accounts of waqfs (1) The accounts of waqfs submitted to the 'Board under section 50 shall be audited and examined annually or at such other intervals as the Board may determine, by an auditor appointed under section 18.
- (2) The auditor shall submit his report to the Board and the report of the auditor shall, *inter alia*, specify all cases of irregular, illegal or improper expenditure or of failure to recover money or other property or loss or waste of money caused by neglect or mis conduct of the mutawalli and any other matter which the auditor considers it necessary to report; and the report shall also contain the name of any person who, in the opinion of the auditor, is responsible for such expenditure or failure, and the auditor shall in every such case certify the amount of such expenditure or loss.
- (3) The costs of the audit of the accounts of a waqf shall be paid from the Waqf Fund.
- Board to pass 52. The Board shall examine the auditor's report, and may call for the explanation orders on of any person in regard to any matter mentioned therein, and shall pass such Audit Report orders on the report as it thinks fit.
- Recovery of 53. dues (1) Every sum certified by an auditor in his, report under section 51 to be due from any person, unless such certificate is modified or canceled by an order of the Board made under section 52 and every sum due on a modified certificate, shall be paid by such person within sixty days after the service of notice of demand for the same issued by the Board.
- (2) If such payment is not made within the period mentioned above, the sum payable may, on a certificate issued by the Board after affording the person concerned an opportunity of being heard, be recovered in the manner provided in section 83.

[The Uttar Pradesh Muslim Waqfs Act, 1960]

[Section 54-

55]

- Penalties 54. (1) If a mutawalli fails without reasonable cause or excuse, the burden of proving which shall be upon him :-
- (a) to apply for registration of a waqf as provided in section 29 ; or
- (b) to submit statements of particulars or of accounts and returns and to have the accounts audited as required by this Act; or
- (c) to supply information or particulars required by the Board or a sub-committee; or

(d) to allow inspection, under the provisions of this Act, of waqf properties and deeds and documents relating thereto; or

(e) to give assistance in enquiries and investigations when called upon to do so by the Board or by a sub-committee or by a Superintendent, Inspector, Auditor or any other person working under the orders of the Board ; or

(f) to deliver possession of any waqf property if ordered to do so by the Board; or

(g) to deposit any surplus income in his hands in any recognized bank when directed to do so by the Board; or

(h) to carry out the directions given by the Board or a sub-committee consistent with the provisions of this Act; or

(i) to do any other act which he is by or under this Act, required to do,

he shall be liable to pay such penalty, not exceeding rupees fifty for the first contravention and rupees two hundred and fifty for every subsequent contravention, as the Board may determine.

(2) The State Government may *suo motu* or on the application of the person aggrieved, call for the record of any case for the purpose of satisfying itself as to the correctness, legality or propriety of the order imposing penalty under sub-section (1) and may pass such orders as it deems fit.

Removal of 55. (1) The Board may, after affording him an opportunity of being heard, remove a Mutawallis

mutwalli other than a Managing Committee from his office the-

(i) is fined on more than one occasion under section 54; or

[(i-a) has failed to pay, without reasonable excuse, for two consecutive years, the contribution payable by him under section 34 ; or]

(ii) is convicted of an offence relating to the waqf property or money which, in the opinion of the Board, renders him unfit to continue as *mutawalli*; or

(iii) is convicted of an offence involving moral turpitude or is required to furnish security under section 109 or section 110 of the Code of Criminal Procedure, 1898 ; or

1-Insertion by section 13 of U. P. Act No. 28 of 1971.

[The Uttar Pradesh Muslim Waqfs Act, 1960]
58]

[Section 56-

(iv) wrongly destroys or alienates any waqf property; or

(v) is adjudged insolvent; or

(vi) is, in the opinion of the Board, unfit to discharge the duties of a mutawalli owing to any physical or mental disability, or moral delinquency ; or

(vii) is guilty of misappropriation or gross mismanagement of waqf property, or has persistently neglected to comply with the directions given by the Board for the proper management of the waqf.

- (2) Any, Person aggrieved by an order of removal under sub-section (1) may, by an application, refer the matter to the Tribunal within 90 days of the date of communication of the order of removal.

CHAPTER VII

Special powers of the Board

Application for 56. application to inquiry relating to the accounts officer,	A beneficiary or any person interested in a waqf, may make an the Board supported by an affidavit to institute an enquiry administration of the waqf, or for the examination and audit of the thereof, and the Board may male or cause to be made through its own or thong, a sub-committee constituted under section 27, such enquiry, examination or audit as it may deem fit.
Inquiry by 57. Board committee and	If, after enquiry made on an application under section 56, or made by the the Board suo motu, the Board is of opinion that the mutawalli or the of management has acted otherwise than in accordance with the terms conditions of the waqf, it may direct the mutawalli or the committee of management to take such action as the Board may deem expedient.
[Recovery of 57-A (1) be possession of immovable waqf property	If the Board is satisfied after making an inquiry in such manner as may prescribed that any person is in un authorised occupation of any property entered as property of a waqf in the register of waqfs maintained from un- under section 30 it may send a requisition to the Collector with in whose authorized jurisdiction the property is situate to obtain and deliver possession of the occupants property to it.
	(2) The provisions of sub-sections (2), (3), (4), (5), (6) and (7) of section 49-B shall <i>mutatis' mutandis</i> apply in relation to a requisition under sub-section (1) as they apply in relation to a requisition under sub-section (1) of that section.] ¹
Powers of 58. inquiring witnesses authority Civil	For the purposes of an inquiry under this [Act] ² the inquiring officer or committee shall have the same power of enforcing the attendance of and production of documents as the civil court has under the Code of Procedure , 1908.

-
1. Ins. by section 14 of U. P. Act no. 28 of 1971.
2. Subs. by section 15 *ibid*.

[The Uttar Pradesh Muslim Waqfs Act, 1960]
62]

[Section 59-

Determination 59. (1) Where the object of any waqf has ceased to exist or cannot be accomplished, of object of a then notwithstanding anything contained in section 92 of the Code of Civil waqf whose Procedure, 1908, or any law for the time being in force, the Board may, on its object does not own motion or on the application of a member of the sect to which the, waqf exist, etc. belongs, determine the object to which the funds, property or income of the waqf or part thereof, shall be applied :

Act V of 1908 Provided that before such determination of the object the Board shall give notice to the *mutawalli* of the *waqf*, and to such other persons as may appear to the Board to be interested therein and shall make such inquiry as it may deem necessary:

Provided further that the object So determined by the Board shall be similar, or as nearly similar as may be practicable, to the object for which the waqf was created.

(2) The mutawalli or any other person interested in the waqf, may, within 90 days from the date of the order under sub-section (1) refer the matter to a Tribunal.

Direction 60.
where the
or object of a
waqf is not
evidenced
affording to

(1) If in any case the object of a waqf is not defined with precision, the Board shall direct the manner in which the funds, property or income of the waqf, any surplus thereof, shall be utilized :

Provided that no such direction shall be given without first the persons affected an opportunity of being heard.

(2) Any person affected by the direction of the Board under sub-section (1) may, within 90 days from the date of such direction, refer the matter to a Tribunal in accordance with the provisions of this Act, but pending the decision of the Tribunal on such reference, the direction of the Board shall be complied with.

Exercise of 61. Whenever the deed of a waqf or any decree or order of a Court or the scheme certain powers of management of the waqf provides that a Judge or any other authority may given in the appoint or remove a mutawalli or settle or modify the scheme of management deed, etc. to a or otherwise exercise superintendence over the waqf, the powers exercisable Judge or other by the Judge or such other authority shall, notwithstanding anything in the authority deed of waqf, decree, order or scheme, be exercisable by the Board as far as may be in accordance with the directions contained in the deed of waqf, decree, order or scheme, as the case may be.

Powers to 62. (1) Where a mutawalli is under an obligation to perform any act which is secure recognized by Muslim law as pious, religious or charitable and the mutawalli discharge of fails to perform such act, the Board may direct the mutawalli to pay to the obligations Board or to any person authorized by the Board in this behalf, the amount necessary for the performance of the act and the Board or the person so authorized shall perform such Act.

(2) Where a mutawalli refuses to pay or fails to pay any revenue, cess, rates or taxes due to the State Government or any local authority, the Board may pay the dues from the Waqf Fund and may recover the amount so paid from the waqf property.

(3) Any sum of money due under sub-section (2) may, on a certificate issued by the Board after giving the mutawalli concerned an opportunity of being heard, be recovered in the manner provided in section 83.

[The Uttar Pradesh Muslim Waqfs Act, 1960]

[Section 63]

Committees of 63.
supervision
and Board's
Power to

(1) Whenever the supervision or management of a waqf is vested in any committee appointed by the waqif or any competent court or authority, such committee shall, notwithstanding anything in the Act, continue to function

until superseded by the Board under sub-section (2) : supersede them

and

Provided that such committee shall be under the control of the Board shall abide by such directions of the Board as are not inconsistent with any directions of the waqif or the court or authority appointing such committee.

(2) Notwithstanding anything contained in the Act, the Board may supersede any Such committee as aforesaid if it does not, in its opinion to be recorded in writing, function properly and satisfactorily and on such suppression, any decree or order of a court or competent authority under which such committee has been constituted, shall cease to have any force in so far as it relates to the constitution of such committee.

(3) An order passed by the Board under sub-section (2) shall be final and shall not be questioned in any court of law:

Provided that any party aggrieved by an order under sub-section (2) may, within 90 days from the date of the order, refer the matter to a Tribunal for adjudication.

(4) Where the Board supersedes a committee by an order under sub-section (2), it may either appoint a new committee of supervision or management, or may assume direct management of the waqf.

(5) Where in a case in which the Board has assumed direct management of a waqf or appointed a mutawalli or a committee of management and the Board or the mutawalli or committee so appointed, is prevented from taking possession of the property of the waqf or of any title deeds or other deeds or other documents relating thereto, [the Board may by order direct the mutawalli to deliver possession of the waqf property and the title deed or the documents relating thereto to the Board or any officer thereof duly authorized in that behalf or to any person or committee appointed to act as the mutawalli of the waqf property, and the order of the Board shall be forwarded to the Court of Munsif, or where there is no Munsif, the Court of Civil Judge, within whose territorial jurisdiction the said property is situate or the said mutawalli, resides, and the court shall thereupon execute the order as if it were a decree made by itself in a suit.]¹

(6) The Board may instead of superseding any committee under sub-section (2) remove any member thereof if the Board is satisfied that the member has flagrantly abused his position as such or has knowingly acted in a manner prejudicial to the interest of the waqf. The order of removal shall be duly

served on the member concerned:

Provided that no order for removal of the member shall be made unless an opportunity has been afforded to him of being heard :

Provided further that an appeal shall lie within 30 days from the date of service of the order of removal, to the State Government and the order of the State Government, on appeal, shall be final and be not questioned in any court of law.

1. Subs. by section 16 of U. P. Act no. 28 of 1971.

[The Uttar Pradesh Muslim Waqfs Act, 1960]

CHAPTE R VIII

Certain suits or proceedings relating to waqfs by, or against, the Board or by others :

Institution of 64. (1) A suit to obtain any of the reliefs mentioned in section 14 of the Religious suits under Endowments Act, 1863, and in section 92 of the Code of Civil Procedure, section 14 of

1908, relating to any waqf may, notwithstanding anything to the contrary the Religious contained in those Acts, to be instituted by the Board without obtaining the Endowments Act, 1863 and leave or consent referred to in those Acts.

section 92 of (2) No suit to obtain any of the reliefs referred to in sub-section (1) relating to a the Code of waqf shall be instituted by any person or authority other than the Board Civil without the consent in writing of the Board [and where the board has given

Procedure, such consent, it shall not be necessary further to obtain the leave or consent
1908 Act 20 of 1863 Act 5 of referred to in the said Acts.]¹

Notice of suits 65. No suit shall be instituted against the Board in respect of any act purporting to by
parties be done by it in pursuance of this Act or of any rules made thereunder, until against
the the expiration of two months, next after notice in writing, has been delivered Board
to, or left at; the office of the Board, stating the cause of action, the name,
description and place of residence of the plaintiff and the relief which he claims;
and the plaint shall contain a statement that such notice has been so delivered or left.

Notice of suits, 66. (1) In every suit or proceeding relating to the title to waqf property or the
right of etc. by court a mutawalli, the court shall issue notice to the Board at the cost of the
party instituting such suit or proceeding.

(2) Whenever any waqf property is notified for sale in execution of a decree
of a civil court or for the recovery of any revenue, cess, rates or taxes
due to the Government or any local authority, notice shall be given to the
Board by the Court, Collector or other person under whose order the sale
is notified.

(3) In the absence of a notice under sub-section (1), any decree or order
passed in the suit or proceeding, shall be declared void if the Board,
within one month of its becoming aware of such suit or proceedings,
applies to the court in this behalf.

(4) In the absence of a notice under sub-section (2), the sale shall be declared
void, if the Board, within one month of its becoming aware of the sale,
applies in this behalf to the court or other authority under whose order
the sale was held.

Proceeding 67. (1) If, in the course of proceedings under the Land Acquisition Act, 1894, it under
the Land appears to the Collector before an award is made that any property under
Acquisition acquisition is waqf property, a notice of such acquisition shall be served by
Act, 1894 the Collector on the Board and further proceedings shall be stayed to enable
Act 1 of 1894 the Board to appear and plead as a party to the proceeding at any time within
three months from the date of the receipt of such notice.

1. Ins. by section 7 of U. P. Act No. 26 of 1966.

[The Uttar Pradesh Muslim Waqfs Act, 1960]

[Section 68-

71]

Act 1 of 1894 (2) Where the Board has reason to believe that any property under acquisition
is waqf property, it may, at any time before the award is made, appear and plead
as a party to the proceeding.

Act 1 of 1894 (3) When the Board has appeared under the provisions of sub-section (1) or
sub- section (2), no order shall be passed under section 31 or section 32 of the
Land Acquisition Act, 1894, without giving an opportunity to the Board of
being heard.

(4) Any order passed under section 31 or section 32 of the Land Acquisition
Act, 1894, without giving an opportunity to the Board of being heard,
shall be declared void if the Board within one month of its becoming
aware of the order applies in this behalf to the authority which made the
order.

Board to be 68. In any suit or proceeding in respect of a waqf or any waqf property by or made a party against a stranger to the waqf or any other person, the Board may appear and to a plead as a party to the suit or proceeding.

suit or

proceedin

g

regarding a

waqf on its

applicatio

n

Bar to compro-69. No suit or proceeding pending in any court by or against the mutawalli of a mise of suits waqf relating to title to waqf property or the rights of the mutawalli shall be by or against compromised without the sanction of the Board.

mutawallis

Bar and suit

etc. for certain

69-A No suit or other proceeding shall be instituted by the Board in a civil court for any relief which may be obtained by proceedings under section 49-B or reliefs section 57-A.]¹

CHAPTER IX

Tribunals --Their Constitution, Powers and Functions

Constitution of 70. (1) The State Government may, by notification in the official Gazette, constitute Tribunals as many Tribunals as may be necessary for the purposes of this Act. Each Tribunal shall have jurisdiction over such areas in the State as may be specified.

(2) A Tribunal shall consist of one person only, who shall be a judicial Officer of the State Government, not below the rank of a Civil Judge, and who may be appointed as such either by name or by official designation.

References of 71. Any dispute, question or matter, which may under this Act be referred to a disputes Tribunal, shall be referred to a Tribunal having jurisdiction over the area in which the property to which such dispute, question or matter relates is situate or if such property is situate in areas under the jurisdiction of more than one Tribunal, then to any of them, and the Tribunal of competent jurisdiction shall adjudicate upon such dispute, question or matter in accordance with the provisions of this Act:

1. Insertion by section 17 Of U.P. Act No. 28 of 1971.

[The Uttar Pradesh Muslim Waqfs Act, 1960]
77]

[Section 72-

Provided that no proceedings under this Act in respect of any waqf shall be stayed or suspended merely by reason of the pendency of any such dispute, question or matter before a Tribunal.

Procedure 72. (1) Subject to the provisions of this Act and any rules that may be made in this behalf, a Tribunal shall follow the same procedure as is provided in the Code of Civil Procedure, 1908, in regard to suits.

Act V of 1908

Act I of 1872

apply in

(2) The provisions of the Indian Evidence Act, 1872, shall be deemed to all respects to the adjudication of disputes by a Tribunal.

Awards by 73.

Trivbunals

(1) When a dispute has been referred to a Tribunal for adjudication, it shall hold its proceedings expeditiously and shall, as soon as practicable on the conclusion thereof, give its award in 'writing tinder its signature.

- (2) A Tribunal may, either of its own motion or on the application of any party to the dispute, correct any clerical or arithmetical mistake in the award, or error arising therein from any accidental slip or omission.
- (3) A copy of the award and 'Ihenever a correction is made in the award as aforesaid, a copy of the order shall be handed over to each of the parties to the dispute, or if any party is not present before the Tribunal at the time of the award or order, as the ca se may be, a copy of it shall be sent by registered post to the address of such party.

Powers of 74. A Tribunal shall be deemed to be a civil court and, shall have the same Tribunals powers as are vested in such a court under the' Code of Civil Procedure 1908, Act V of 1908 when trying a suit or executing a decree or order.

Bar to suits in 75. No person shall institute any suit or other proceeding in any civil court with matters to be respect to any dispute or question or matter which is required or permitted decided by under this Act to be referred to a Tribunal for adjudication.

Tribunals

Award not 76. The award of a Tribunal shall be final and conclusive and binding upon the appealable parties concerned and the award shall have the force of decree and it shall neither be questioned nor appealed against in any court of law :

Provided that the High Court may, in its discretion, at any time *suo moto* or on the application of the Board or of any person aggrieved, call for and examine the record of any case for the purpose of satisfying itself as to the correctness, legality or propriety of any award made under this Act, and pass such orders as it deems fit.

Removal of 77. (1) The State Government may, for the purpose of removing any difficulties in regard to the implementation of the provisions of sections 70 to 76 of this Act, direct, by order published in the official Gazette, that these provisions shall during such period as may be specified, take effect subject to such adaptations, (whether by way of modification, addition or omission) as it may deem to be expedient or necessary:

[The Uttar Pradesh Muslim Waqfs Act, 1960]
79]

[Section 78-

Provided that no such order shall be made after twenty-four months from the date of the commencement of this Act.

- (2) No order, made under sub-section (1), shall be questioned in any court of law, on the ground that no difficulty as is referred to in the said sub-section existed or was required to be removed.

CHAPTER X

Miscellaneous

Power to make 78.
rules rules

- (1) The State Government may, by notification in the official Gazette, make to carry out the purposes of this Act.
- (2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely-
 - (a) the manner in which reference shall be made to a Tribunal; and
 - (b) the procedure and time-schedule to be followed by a Tribunal,
- (3) All rules, made under this Act, shall be published in the official Gazette, and shall, unless some later date is appointed, come into force on the date of such publication.

- (4) All rules shall be laid for not less than fourteen days before the State Legislature as soon as they are made and shall be subject to such modifications as the Legislature may make during the session in which they are so laid.

Board's power 79. (1) The Board may, subject to the previous approval of the State Government, make bye-laws make bye-laws consistent with this Act for carrying out its functions and the provisions of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such bye-laws may provide for all or any of the following matters, namely-

(a) [* * *]¹;

(b) the time and place of the meetings of the Board, their procedure and conduct of business ;

(c) the qualifications, emoluments, terms and conditions, of service of the Secretary and the staff of the Board;

(d) fees and conditions for the grant of inspection and copies of the Board's proceedings or records;

(e) the constitution, functions, procedure and conduct or business of the sub-committee ;

(f) the form and manner of making applications for registration of waqfs ;

(g) the particulars to be contained in, and the form of, the register of waqfs ;

(h) the method of calculating the income of a waqf for the purpose of levying contribution under this Act;

1. Omitted by section 7 of U. P. Act No. 11 of 1974.

[The Uttar Pradesh Muslim Waqfs Act, 1960]
82]

[Section 80-

(i) the form and manner of preparation of the annual budget and accounts of the Board and of each waqf;

(j) the form and manner of submission of various returns. required by the Board in respect of any or each waqf ;

(k) the custody and investment of the Waqf's Fund;

(l) the grant of travelling allowance to the President or members of the Board ;

(m) the books and accounts to be kept at the office of the Board and of the sub-committee, if any;

(n) the manner of keeping, auditing and publishing of the accounts of waqfs, the form and content of the auditor's report and the scale of remuneration to be paid to the auditors;

(o) the fee to be paid on applications before the Board or the sub-committee;

(p) persons by whom any order or decision of the Board may be authenticated; and .

(q) any other matter which is required or allowed by this Act to be prescribed by the Board.

Rules by-80. (1) All rules and bye-laws framed under this Act, shall be published in the official laws & names Gazette and shall thereafter have the force of law.

of members

and Presidents (2) The names of the members and Presidents of the Boards shall be published in

Protection of 81. (1) No suit or other legal proceeding shall lie against the State Government or the actions taken Board or the Commissioner or any other person duly appointed under this Act in good faith in respect of anything which is in good faith done or intended to be done under this Act.

(2) The Commissioner, the Additional Commissioner of waqfs, the Assistant Commissioner of waqfs, every auditor, every officer and servant of the Board Act XLV of

1860 and every other person duly appointed to discharge any duties imposed on him by this Act or rules or orders made thereunder, shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860.

Surplus and 82. All money that may be available as surplus or accumulation out of the income accumulation of waqfs shall be spent on such charitable or religious objects recognized by the Muslim law as such, as may be determined by the Board. Such money may be given as loan, with the approval of the Board, by one waqf to another on such terms and conditions as may be prescribed.

[The Uttar Pradesh Muslim Waqfs Act, 1960]

[Section 83-

85]

Recovery of 83. The contribution payable under section 34 and every sum recoverable under dues by distress this Act may be recovered by the Board by means of distress and sale of movable or immovable-property belonging to the person liable for payment, or by the appointment of a receiver of waqfs property in accordance with rules framed by the State Government in this behalf.

No liability on 84. The State Government shall not be liable for any expenditure incurred in State connection with the administration of this Act.

Government

Repeals and 85. (1) Nothing in any other enactment, which is inconsistent with the provisions of savings this Act shall apply to any waqfs to which this Act applies.

U.P. Act no. (2) The U. P. Muslim Waqfs Act, 1936, as amended from time to time, and the

XIII of 1936 Husainabad Endowment Act, 1878, are hereby repealed :

Act XV of

1878

application

[The following enactments are also hereby repealed in their to any *waqf* to which this Act applies-----

Act XIX of (1) the Bengal Charitable Endowments, Public Buildings and Escheats 1810 Regulation 1810 ;

Act XX of (2) the Religious Endowments Act, 1863; 1863

Act VI of 1890 (3) the Charitable Endowments Act, 1890 ;

Act XIV of (4) the Charitable and Religious Trusts Act, 1920 :]

1920

Provided that this repeal shall not effect the operation of those Acts

in regard to any suit or proceeding pending in any court or to an appeal or an application in revision against any order that may be passed in such suit or proceeding and subject thereto, anything done or any action taken in exercise of powers conferred by or under those Acts shall, unless otherwise expressly required by any provision of this Act be deemed to have been done or taken in exercise of the powers conferred by or under this Act as if this Act were in force on the day on which such thing was done or action was taken.

1. Insertion by section 18 of U. P. Act no. 28 of 1971.

